

गुरु नाना सिंह
2002 - 2010

कार्य योजना एवं बजट

जिला सिरोही

राजस्थान

सिरोही



अनुक्रमणिका

अध्याय

1. जिला सिरोही परिचय
 2. शैक्षिक परिदृश्य
 3. नियोजन प्रक्रिया
 4. सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य
 5. पहुंच नामांकन एवं ठहराव
 6. गुणात्मक शिक्षा
 7. विशिष्ट फोकस ग्रुप
 8. अनुसंधान मूल्यांकन एवं प्रबोधन
 9. प्रबन्ध एवं संस्थाओं का क्षमता गत विकास
 10. निर्माण कार्य
 11. सत्र 2002–03 की कार्य योजना
 12. लागत 2002–2010
-

जिला सिरोही एक नजर में

स्थिति :-

25° -17'

-10'

उत्तरी अक्षांश 24° -20' से

पूर्वी देशान्तर 72° -16' से 73°

क्षेत्रफल :-

5136 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या :-

850756

पुरुष 437534

महिला 413222

ग्रामीण जनसंख्या

700014

शहरी जनसंख्या

150742

अनुसूचित जाति

19.24 प्रतिशत (1991)

अनुसूचित जन जाति

23.39 प्रतिशत (1991)

जनसंख्या घनत्व

165.4 प्रति वर्ग किमी (2001)

साक्षरता दर कुल

54.39 प्रतिशत

पुरुष

70.58 प्रतिशत

महिला

37.37 प्रतिशत

कुल गांव

477

कुल पंचायते

151

उप खण्ड

3

पंचायत समिति

5

नगर पालिका

5

तहसील

5

उप तहसील

3

शैक्षणिक संस्था

1138

उच्च शिक्षण संस्थान

4

चिकित्सालय

261

आयुर्वेदिक औषधालय

61

होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालय

5 (4 एवं 1)

डामर सड़क

1346 किमी.

सहकारी समिति

195

विद्युतीकरण

467 गांव

9375 कुएं

पंजीकृत उद्योग

3350

कृषि क्षेत्र

111230 हैक्टर

सिंचित क्षेत्र

98881 हैक्टर

नोट : जनगणना 2001 की अनुमानित पुस्तिका से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

अध्याय 1

जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका

सिरोही जिला राजस्थान के 32

जिलों में सबसे छोटा है। माऊन्ट आबू देलवाड़ा के जैन मन्दिर एवं ब्रह्ममा कुमारी का मुख्यालय यहां होने से यह जिला अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इसकी सीमा गुजरात राज्य के बनास कांठा से सटी हुई है। पूर्व में उदयपुर, उत्तर पूर्व में पाली एवं पश्चिम उत्तर में जालौर जिला है।

इस जिले में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़ी हुई आदिवासी जातियों का बाहुल्य है। यहां के लोगों का मुख्य धन्या कृषि एवं पशु पालन है। अधिकतर परिवार कुछ महिनों के लिए गुजरात मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पशुओं को चराने एवं मजदूरी के लिए पत्तायन कर जाते हैं।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

सिरणवा पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर स्थित सिरोही नगर के नाम पर, जो जिले का मुख्यालय भी है, इस जिले का नामकरण हुआ है। इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार इस नाम के पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है क्योंकि यह रेगिस्तान (रोही) के सिर की ओर स्थित है। कर्नल टॉड के अनुसार नगर का मूल नाम “शिवपुरी” था, जो कालान्तर में सिरोही हो गया। सिरोही शब्द का शाब्दिक अर्थ तलवार से है एवं कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि देवड़ा चौहान वंश का यह राज्य उनकी तलवार की ख्याति के कारण इस नाम से जाना जाने लगा।

1.3 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :-

सिरोही जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में उत्तरी अक्षांश के $24^{\circ}20'$ से $25^{\circ}17'$ तथा पूर्वी देशान्तर रेखा के $72^{\circ}16'$ से $73^{\circ}10'$ के समानान्तर मध्य स्थित है। उत्तर पूर्व में पाली जिले, पूर्व में उदयपुर जिले दक्षिण में गुजरात राज्य के बनास कांठा जिले तथा पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में जालौर जिले की सीमा बनाता है।

सिरोही जिला एक अनियमित त्रिकोण की आकृति में है, इसका अधिकांश भाग अर्द्धमरुस्थलीय तथा कहीं कहीं पहाड़ियों तथा कुछ रेतीले टीले हैं जो थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाते हैं। इसके पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला का उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग आ जाता है। आबू सिरोही पर्वतमाला इस जिले को दो भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग में 4 बिखरे हुये टीलों के समुह है। जिनमें से सिरोही तथा शिवगंज में एक-एक तथा रेवदर तहसील में दो हैं।

अरावली पर्वतमाला की कुछ पृथक पहाड़िया जिले के मध्यवर्ती क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है। माउन्ट आबू समुद्रतल से करीब 1219 मीटर की ऊँचाई पर एक असामानीकृत पठार पर अवस्थित है।

नदियां झीले एवं तालाब :-

जवाई उत्तर पश्चिम क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा लम्बी नदी है जो आगे चलकर लूनी में मिल जाती है साथ ही इस जिले की प्रमुख नदियां खारी, सुखड़ी, कचमावली, बोडी तथा कपाल गंगा नदियां भी इस जिले में बहती हैं। यहां प्रकृतिक झील एक भी नहीं है। किन्तु प्राकृतिक कृत्रिम झील के चिन्ह कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होते हैं। सुरम्य नक्की झील इस क्षेत्र का गौरव है। इस जिले में चण्डेला, जुबली, सिवेरा, अखेलाव, मानसरोवर तथा विसोला प्रसिद्ध जल कुण्ड है। अरावली से इसका उदगम होता है तथा विभिन्न गांवों में बहती हुई ये पाली व सिरोही जिले के मध्य सीमा निर्धारण करती है। पश्चिमी बनास इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है जो पिण्डवाड़ा तथा आबू रोड तहसील में स्थित आबू सिरोही क्षेत्र के पूर्वी इलाके में से गुजरती है। खारी, सुखड़ी, कचमावली, बोडी तथा कपाल गंगा अन्य नदियां हैं जो इस जिले में बहती हैं। कृष्णावती खारी की प्रमुख सहायक नदी है जो जिले के अनेक गांवों की सीमाओं को छूती हुई निकलती है।

जलवायु :-

कुल मिलाकर इस जिले की जलवायु शुष्क है तथा उत्तरी व उत्तरी पश्चिम सिरे पर जुड़े अन्य समीपवर्ती जिलों की तुलना में गर्भी थोड़ी कम रहती है। शीत ऋतु दिसम्बर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है और उसके बाद जून के मध्य तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। जबकि जून मध्य से सितम्बर मध्य तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। तत्पश्चात नवम्बर के अन्त तक मानसूनापरान्त का काल रहता है।

1.4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृष्टि :-

इस जिले में रहने वाली अधिकतर जातियां सामूहिक परिवार में रहते हुए अपना जीवन यापन करती है। इस जिले में गौतमजी का मेला, सारणेश्वर महादेव का मेला, ऋषिकेश महादेव का मेला एवं सियावां का मेला प्रसिद्ध है। जिनमें कि यहां आदिवासी जातियां अपने परम्परागत वेशभूषा में मेले का आनन्द उठाती हैं।

वनस्पति एवं जीव जन्तु :-

जिले का अधिकांश भाग वृक्षों एवं झाड़ियों से परिपूर्ण है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग पूरे जिले में ही घास (एनोजीसस पेन्डुला) वृक्ष अधिकता से पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नीम, पीपल, बेर, तमरिस्क, बड़ तथा गूलर इस क्षेत्र में पाये जाने वाले अन्य प्रमुख वृक्ष हैं। झाड़ियों में बेर, आंवला, खेर, खेजड़ा, बबूल, जाल, पीलू तथा कैर इत्यादि मैदानी भागों में बहुतायात से पाई जाती हैं। जिले में विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु भी पाये जाते हैं। किन्तु उनकी संख्या कम है। चीते इस क्षेत्र में विशेष रूप से देखे जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जंगली सुअर काफी मात्रा में है। चिकारा यहां का प्रमुख जानवर है, जबकि चार सींग वाला हिरण कहीं-कहीं ही नजर आता है। आबू सिरोही रेंज व निम्बज की पहाड़ियों में काला भालू पाया जाता है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मैदानी भागों में चीतल है। नील गाय भी बहुतायत से देखी जा सकती है।

1.5 व्यवसायिक स्वरूप :—

सिरोही जिला आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है जिसमें कि यहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी एवं मानसून का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहां के अधिकतर लोग पशु पालन एवं मजदूरी द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में दिल्ली की उच्च स्तरीय चट्टाने जिले के पूर्वी भागों में पाई जाती है तथा माऊन्ट आबू के पश्चिम में पहाड़ियों की छोटी-छोटी शृंखलायें पायी जाती हैं। प्रमुख चट्टानों में केलसाईट, अम्बक स्फटीक चट्टाने, चूना पथर, संगमरमर, कैलसिलिकेट एवं क्वार्टजाईट चट्टाने आदि हैं। इस जिले में केलसाईट, तांबा, सीसा तथा जस्ता व वोलेस्टोनाईट आदि खनिज प्रमुख रूप से मिलते हैं। पिण्डवाड़ा तहसील के भूला तथा मोरस ग्राम के निकट तथा आबूरोड़ तहसील में तनकीया, सियावा तथा उपला — खेजड़ा ग्राम के निकट कैल्साईट के छोटे-छोटे भण्डार मिलते हैं। उपरोक्त खनिजों के साथ ही अच्छी किस्म का संगमरमर सेलवाड़ा, पैरवा, सेरवा तथा भटाना के समीप हरा मगरा की खानों में पाया जाता है। जिले में कुएं व नलकूप सिंचाई के मुख्य साधन हैं। जिले में 88.89 प्रतिशत में कुल 56608 हैक्टर क्षेत्र सिंचित था। जिसका 91 प्रतिशत में कुएं व नलकूपों से, 7 प्रतिशत टैको तथा 2 प्रतिशत नहरों व अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती थी।

1.6 प्रशासनिक टांचा :—

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	उपखण्ड	3
2.	खण्ड	5
3.	तहसील	5
4.	गाँव (गैर कास्त-8, गैर आबाद-8)	474
5.	वास सीन	477
6.	पंचायते	151
7.	शहरी क्षेत्र	5

1.7 जनसांख्यिकी :-

जनसंख्यात्मक आंकडे – 1991 की जनसंख्या गणना के आधार पर सिरोही जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे दर्शायी तालिका से साफ दिखाई देती है। 1991 में 82.8 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास कर रही थी जबकि 2001 की जनसंख्या गणना के आधार पर 82.28 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है।

(1) जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या	कुल	पुरुष	महिला	लिंग अनुपात
जनसंख्या 1991	654029	335517	318512	949
जनसंख्या 2001	850756	437534	413222	944
जनसंख्या में वृद्धि	196727	102017	94710	
वृद्धि दर	29.93	30.40	29.73	

(2) ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या (2001)

नाम खण्ड	कुल जनसंख्या			ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
सिरोही	161097	81060	80037	125521	62238	63283	35576	18822	16754
शिवगंज	124421	63570	60551	99636	50672	48964	24785	12898	11887
पिण्डवाडा	205465	105594	99871	184707	94647	90060	20758	10947	9811
आबूरोड़	184487	97320	87167	114819	59262	55557	69668	38058	31610
रेवदर	175286	89990	85296	175286	89990	85296	—	—	—
योग	850756	437534	413222	699969	356809	343160	150787	80725	70062

1.8.1 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.) –

योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–

1. राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य।
2. पुस्तकालय भवन / बस स्टेप्ड / धर्मशाला / विश्राम गृह / स्टेडियम / वाल्मीकी भवन / सामुदायिक भवन।
3. चार दीवारी निर्माण।
4. शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर।
5. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों / पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन / कम्प्यूटर।
6. राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री / स्काउट सामग्री / खेल सामग्री / फर्नीचर / दरी।

कार्यों की स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव :–

प्रत्येक विधान सभा सदस्य अपने—अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रति वर्ष 60.00 लाख रुपये तक की जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराने के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित करेंगे जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित कराये जा सकेंगे।

1.8.2 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

योजना के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्य :–

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण, जो सरकार अथवा स्थानीय निकाय के अधीन हो। ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।
2. मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण। व्यायाम केन्द्रों, खेलकूद संघों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम—फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति देता है।
3. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।
4. शिशु गृह एवं आँगन बाड़िया

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :-

अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कराये गये कार्यों एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	गत तीन वर्षों में प्राप्त राशि (लाखों में)	गत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की संख्या (लाखों में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	गत तीन वर्षों में पूर्ण कार्यों की संख्या	गत तीन वर्षों में व्यय राशि (लाखों में)
1	सुनिश्चित रोजगार योजना	3 29.95	334	24 8.71	33 6	29 4.56
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना (वाटर शैड)	3 90.45	19	39 0.45	प्रगति पर	32 4.37
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना	2 55.00	195	33 0.66	10 4	19 0.02
4	सांसद क्षेत्र विकास योजना (लोकसभा)	2 15.00	66	23 4.65	42	12 4.87
5	सांसद क्षेत्र विकास योजना (राज्यसभा)	6 4.85	26	61. 70	17	35. 57
	योग	1 255.25	640	10 55.17	49 9	96 9.39

स्रोत :- डी.आर.डी.ए.सिरोही

1.8.3 बालिका समृद्धि योजना :-

जिला परिषद द्वारा संचालित इस योजना में बी.पी.एल.परिवारों की बालिकाएँ लाभान्वित होती है। पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं –

वर्ष	लक्ष्य	लाभान्वित	वितरत राशि
1999–2000		550	2.75 लाख
2000–2001		700	3.71 लाख
2001–2002		127 (नवम्बर 2001 तक)	63,500
योग		1377	7.095 लाख

— — —

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास –

जिला सिरोही आजादी से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। आजादी के पश्चात् नगरों गांवों का पुनर्निधारण हुआ। इस जिले की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जिले की बड़ी पंचायत समिति पिण्डवाड़ा में आदिवासी जातियों का बाहुल्य है। आदिवासी जातियां सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। अतः विकास से सर्वथा दूर रही। आबू रोड़ पंचायत समिति में सर्वाधिक 38.32 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जनगणना 1991 के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया कि कुल जनसंख्या के 23.05 प्रतिशत लोग साक्षर है। स्त्री-पुरुष की साक्षरता दर में अभी भी काफी अन्तर था। 1991 की जनगणना के आधार पर यह दृश्य उभर कर सामने आया कि 42 गांव ऐसे थे जहां पर शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। परन्तु इसमें भी 34 गांव ऐसे भी थे जिनमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए 5 किमी. तक जाना पड़ता था। 7 गांव ऐसे भी थे जिनमें बच्चों को 5–10 किमी. तक जाना पड़ता था।

1988–89 में जिले में 659 शैक्षणिक संस्थाएँ थी। जिनमें से 2 सामान्य शिक्षा व एक व्यवसायिक शिक्षा के कॉलेज थे। इनमें 48 सैकेण्डरी/हाऊ सैकेण्डरी 103 उ.प्रा. 419 प्राथमिक शालाएँ तथा 8 व्यवसायिक शालाएँ थी। वर्तमान में 323 प्राथमिक, 181 उच्च प्राथमिक, 56 माध्यमिक, 29 उच्च माध्यमिक, 3 स्नातक स्तरीय व 1 स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय संचालित हैं। जिले में 61 प्राथमिक विद्यालय, 21 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 9 सैकेण्डरी विद्यालय, 1 उच्च माध्यमिक, विद्यालय निजी रूप से चलाये जा रहे हैं। 371 राजीव गांधी पाठशालाएँ संचालित किये जा रहे हैं।

2.2 साक्षरता दर –

जिले की सकल साक्षरता दर 1991 की जनगणना अनुसार 23.05 प्रतिशत है। स्त्री-पुरुष साक्षरता दर में काफी अन्तर है। नगरीय साक्षरता दर में आबूरोड़ व आबूपूर्वत की क्रमशः 72.53 व 71.60 प्रतिशत है। वस्तुतः पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर बहुत कम है। शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों की साक्षरता दर अधिक है। जिले में शहरी साक्षरता दर 67.33 प्रतिशत व ग्रामीण साक्षरता दर 23.05 प्रतिशत है। निम्न तालिका में शहर एवं ग्रामीण साक्षरता दर को दिखाया गया है :–

क्र. सं	जिला	1991 साक्षरता दर			2001 में साक्षरता दर			गत दशक में साक्षरता दर बढ़ी		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	सिरोही	46.24	18.99	31.94	70.58	37.37	54.39	24.34	20.38	22.45

जिले की ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर :–

क्षेत्र	कुल जनसंख्या			कुल साक्षरता दर		
	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
ग्रामीण	526447	267938	258505	23.05:	36.57:	9.23:
शहरी	127582	67579	60003	67.33:	82.78:	49.72:
योग	654029	335517	318517	31.94:	46.24:	16.99:

ब्लॉक वार्ड ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत :-

क्र.सं.	ब्लॉक / पंचायत समिति	योग	पुरुष	महिला
1.	सिरोही	28.22	46.49	10.74
2.	शिवगंज	24.03	39.38	8.36
3.	पिण्डवाडा	21.26	33.71	10.60
4.	रेवदर	21.26	33.71	8.23
5.	आबूरोड़	18.53	28.89	7.37
	योग	23.05	36.57	9.23

2.3 शैक्षिक सुविधाएँ :-

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में इस दशक में मानो क्रांति आ गई है। साक्षरता कार्यक्रम के पश्चात् जिस तरह से साक्षरता का ग्राफ बढ़ रहा है उसी अनुसार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में विद्यालय खुल रहे हैं। जनता में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई है। राज्य सरकार ने भी “सबको पढ़ाओं”, “शिक्षा आपके द्वार” आदि कार्यक्रमों के द्वारा लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच पैदा की है। निम्न तालिका में जिले की शैक्षिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती है :—

(अ) प्रारंभिक शिक्षा-2002 :-

क्र. सं.	खण्ड का नाम	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	रा.गा.पा. (चालू)	शिक्षा कर्मी	संस्कृत वि.
1	सिरोही	69	37	44	—	4
2	शिवगंज	52	33	22	7	3
3	पिण्डवाडा	62	37	98	15	5
4	आबूरोड़	51	32	93	32	2
5	रेवदर	89	42	114	13	3
	योग	323	185	371	67	17

(ब) अन्य शैक्षिक सुविधाएं—2002 :-

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	संख्या	नामांकन		
			छात्र	छात्रा	योग
1	वैकल्पिक विद्यालय	24	516	467	983
2	स्वयं सेवी केन्द्र	-	-	-	-
3	प्रहर पाठशाला	-	-	-	-
4	शिक्षा मित्र केन्द्र	-	-	-	-

(स) उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान—2002

टेबिल—सी

क्र.सं.	संस्था का नाम	राज.	निजी	योग
1	उ.मा.	29	1	30
2	माध्य.	56	9	65
3	महाविद्यालय	3	-	3
4	स्नातकोत्तर महा.	1	-	1
5	डाईट	1	-	1
6	बी.एड.कॉलेज	-	-	-

3. नामांकन :- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए डीपीईपी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार सम्मिलित रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा आपके द्वार की महत्वाकांक्षी योजना से जिले के नामांकन में वृद्धि हुई है। डीपीईपी परियोजना द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान में 2007 तक प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2010 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

(c) जिले में 2002 में जातिवार नामांकन निम्नानुसार है -

जातिवार नामांकन :- प्राथमिक विद्यालय

क्र	बर्तोक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	1915	1506	3431	1003	788	1791	1048	825	1873	594	467	1061	4560	3588	8146
2	सिरोही	1947	1275	3222	559	278	837	3284	2428	5712	1184	1115	2299	8974	5096	12070
3	पिण्डवाड़ा	1072	985	2057	2708	1397	4157	2661	2888	5529	738	940	1878	7231	6190	13421
4	आवूरोड	736	667	1403	2414	1456	3869	927	853	1780	597	859	1256	4598	3817	8215
5	रेवदर	3679	2089	5768	844	398	1240	2823	2034	4857	846	673	1519	8192	5192	13384
	योग	9349	6522	15871	7580	4314	11894	10743	9008	19751	3859	3864	7813	31565	23681	56236

जातिवार नामांकन-2002 :- उच्च प्राथमिक विद्यालय

बर्तोक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
शिवगंज	2262	1206	3468	1185	632	1817	1238	661	1899	701	374	1075	5386	2873	8259
सिरोही	1799	1182	2981	507	265	772	2825	2452	5267	1548	1641	3189	6679	5530	12209
पिण्डवाड़ा	1214	649	1863	2084	803	2887	2843	1621	4464	1175	942	2117	7316	4015	11331
आवूरोड	370	597	967	2086	991	3077	911	720	1631	2582	1540	4122	5949	3848	9797
रेवदर	2736	1322	4058	633	230	893	3736	2153	5889	1090	1044	2134	8225	4750	12975
योग	8381	4956	13337	6525	2921	9446	11553	7606	19160	7096	5641	12637	33565	21016	54571

जातिवार नामांकन-2002 :— माध्य. / उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्र.	स्वाँक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	4568	3096	7664	2392	1622	4015	2501	1697	4198	1416	960	2376	10878	7375	18253
2	सिरोही	510	114	624	47	3	50	1171	331	1502	736	280	1016	2464	728	3162
3	पिण्डवाडा	394	240	634	409	159	568	1305	892	2197	762	667	1429	2869	1958	4828
4	आबूरोड़	320	206	526	508	106	614	213	155	368	507	259	788	1548	726	2274
5	रेवदर	845	160	1005	166	28	192	762	122	884	440	110	550	2216	418	2631
	योग	6637	3816	10453	3523	1916	5439	5952	3197	9149	3861	2274	8413	19975	11205	31151

जातिवार नामांकन-2002 :— संस्कृत विद्यालय

क्र.	स्वाँक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	10	8	18	6	4	10	6	4	10	1	3	4	23	19	42
2	सिरोही	119	117	236	16	7	23	177	134	311	134	127	261	446	385	831
3	पिण्डवाडा	110	74	184	24	3	27	138	96	234	159	107	266	431	280	711
4	आबूरोड़	7	6	13	55	39	94	40	49	89	11	6	19	113	102	215
5	रेवदर	62	37	99	11	10	21	158	125	283	37	39	76	268	211	479
	योग	308	242	550	112	63	175	519	406	927	342	284	626	1281	997	2278

जातिवार नामांकन-2002 :— रा.गा.पा.

क्र.	स्वाँक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	270	282	552	141	148	289	148	155	303	83	88	171	642	673	1315
2	सिरोही	449	435	884	335	178	513	580	565	1145	168	231	399	1532	1409	2941
3	पिण्डवाडा	278	327	605	3931	2156	6087	399	363	762	102	72	174	4710	2918	7628
4	आबूरोड़	95	113	208	3098	2520	5618	104	143	247	51	22	73	3348	2798	6146
5	रेवदर	1944	1691	3635	862	457	1319	743	756	1499	102	99	201	3651	3003	6654
	योग	3036	2848	5884	8367	5459	13826	1974	1982	3956	506	512	1018	13883	10801	24684

जातिवार नामांकन-2002 :— वैकलिप्क विद्यालय 6 घण्टे

क्र.	स्वास्थ्यक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	—	—	—	12	10	22	—	—	—	—	—	—	12	10	22
2	सिरोही	96	76	172	21	22	43	63	53	116	14	23	37	194	174	368
3	पिण्डवाडा	2	1	3	38	23	61	2	12	14	—	—	—	42	36	78
4	आबूरोड	10	8	18	182	164	343	24	50	74	—	—	—	216	219	435
5	रेवदर	5	12	17	15	6	21	30	7	37	2	3	5	52	28	80
	योग	113	97	210	268	222	490	119	122	241	16	26	42	516	467	983

जातिवार नामांकन-2002 :— गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय

क्र.	स्वास्थ्यक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	1906	1259	3165	998	669	1657	1043	689	1732	593	393	986	4540	3000	7540
2	सिरोही	99	44	143	40	8	48	806	252	158	416	180	596	1361	484	1845
3	पिण्डवाडा	830	379	1209	922	481	1403	1588	646	2214	1192	651	1843	4512	2156	6687
4	आबूरोड	20	3	23	0	0	0	68	32	100	315	221	536	403	262	665
5	रेवदर	112	36	148	27	10	37	480	136	616	315	132	447	927	321	1248
	योग	2967	1721	4688	1987	1158	3145	3865	1756	5720	2831	1577	4406	11743	6222	17985

जातिवार नामांकन-2002 :— गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्यक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
शिवगंज	793	548	1341	416	287	703	434	300	734	247	170	417	1890	1305	3195
सिरोही	66	26	92	44	12	56	494	159	653	314	145	459	921	343	1264
पिण्डवाडा	222	99	321	165	80	245	1106	419	1525	758	352	1110	2251	950	3201
आबूरोड	766	445	1211	728	235	963	909	387	1296	1486	951	2437	3889	2018	5907
रेवदर	33	23	56	8	1	9	190	44	234	157	77	234	388	145	533
योग	1880	1141	3021	1361	615	1976	3133	1309	4442	2962	1695	4657	9339	4761	14101

जातिवार नामांकन—2002 :— गैर सरकारी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्र.	स्वैंक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	1182	883	2065	619	462	1081	647	483	1130	367	275	642	2815	2103	4918
2	सिरोही	86	26	112	26	4	30	410	151	561	426	126	552	948	307	1255
3	पिण्डवाड़ा	222	99	321	165	80	245	1106	419	1525	758	352	1110	2251	950	3201
4	आदर्शोड़	161	62	223	36	69	105	78	23	101	755	429	1184	1030	616	1646
5	रेवदर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	1651	1070	2721	846	615	1461	2241	1076	3317	2306	1182	3488	7044	3976	11020

जातिवार नामांकन—2002 :— शिक्षाकर्मी विद्यालय

क्र.	स्वैंक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	121	102	232	64	54	118	67	56	123	38	31	69	290	243	533
2	सिरोही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	पिण्डवाड़ा	20	2	22	986	495	1481	34	20	54	10	18	28	1050	535	1585
4	आदर्शोड़	2	3	5	1508	899	2407	9	24	33	74	67	143	1583	993	2588
5	रेवदर	188	123	311	163	83	246	143	130	273	19	29	48	513	385	878
	योग	331	230	561	2721	1531	4252	253	230	483	141	145	486	3446	2136	5582

(2) जिले में 2002 में कक्षावार नामांकन निम्नानुसार है :—

कक्षा वार नामांकन :— प्राथमिक विद्यालय

क्र.	स्वैंक का नाम	कक्षा-1			कक्षा-2			कक्षा-3			कक्षा-4			कक्षा-5		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	शिवगंज	1385	1466	2851	1045	787	1832	765	508	1273	676	475	1151	689	350	1039
2	सिरोही	1463	1492	2955	1799	1441	3240	1434	888	2322	1156	713	1889	1122	562	1684
3	पिण्डवाड़ा	1971	1975	3946	1503	1296	2799	1362	1182	2544	1246	891	2137	1149	846	1995
4	आदर्शोड़	1278	1266	2544	1061	764	1825	935	659	1594	775	577	1352	549	351	900
5	रेवदर	2746	2556	5302	1627	1031	2657	1433	685	2118	1307	567	1874	1079	353	1432
	योग	8843	8755	17598	7035	5319	12374	5929	3922	9851	5160	3223	8383	4588	2462	7050

कक्षावार नामांकन-2002 :— उच्च प्राथमिक विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाड	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	1018	1140	1100	815	1750	5823
	छात्रा	735	1246	1036	863	1950	5830
	योग	1753	2386	2136	1678	3700	11653
2	छात्र	686	106	1154	827	1043	4716
	छात्रा	411	902	799	618	692	3422
	योग	1097	1908	1953	1445	1735	8138
3	छात्र	685	858	950	777	1027	4297
	छात्रा	307	744	546	509	578	2684
	योग	992	1602	1496	1286	1605	7581
4	छात्र	612	730	825	629	970	3766
	छात्रा	208	664	441	366	456	2132
	योग	820	1391	1266	995	1426	5898
5	छात्र	482	683	796	516	817	3294
	छात्रा	133	537	372	299	437	1778
	योग	615	1220	1168	815	1254	5072
6	छात्र	655	856	963	918	1147	4539
	छात्रा	486	545	396	514	340	2321
	योग	1141	1401	1359	1472	1487	6860
7	छात्र	678	749	828	807	836	3898
	छात्रा	264	502	262	322	197	1547
	योग	962	1251	1090	1149	1033	5485
8	छात्र	570	668	700	651	635	3224
	छात्रा	329	382	163	317	100	1291
	योग	899	1050	863	968	735	4515
महायोग	छात्र	5386	6679	7316	5949	8225	33555
	छात्रा	2873	5530	4015	3848	4750	21016
	योग	8259	12209	11331	9797	12975	54571

कक्षावार नामांकन-2002 :- माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाड	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	0	0	44	105	0	149
	छात्रा	0	0	55	65	0	120
	योग	0	0	99	170	0	269
2	छात्र	0	0	24	98	0	122
	छात्रा	0	0	24	82	0	106
	योग	0	0	48	180	0	228
3	छात्र	0	0	40	106	0	146
	छात्रा	0	0	24	59	0	83
	योग	0	0	64	165	0	229
4	छात्र	0	0	38	89	0	127
	छात्रा	0	0	14	71	0	85
	योग	0	0	52	150	0	202
5	छात्र	0	0	21	73	0	94
	छात्रा	0	0	8	45	0	53
	योग	0	0	29	118	0	147
6	छात्र	780	1005	1086	172	559	4038
	छात्रा	76	365	725	70	205	1441
	योग	856	1370	1811	242	1200	5479
7	छात्र	501	785	846	191	665	2988
	छात्रा	60	220	589	165	137	1171
	योग	561	1005	1435	356	802	4159
8	छात्र	95	674	777	196	556	2291
	छात्रा	35	143	519	69	76	842
	योग	130	817	1289	265	632	3133
महायोग	छात्र	1376	2464	2869	1030	2216	9955
	छात्रा	171	728	1958	626	418	3901
	योग	1547	3192	4827	1656	2634	13856

कक्षावार नामांकन—2002 :— संस्कृत विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाड	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	16	106	112	42	70	346
	छात्रा	12	102	85	43	94	336
	योग	28	208	197	85	164	682
2	छात्र	6	75	65	44	42	232
	छात्रा	4	79	60	40	36	219
	योग	10	154	125	84	78	458
3	छात्र	1	52	78	14	36	181
	छात्रा	3	44	36	9	20	112
	योग	4	96	114	23	56	293
4	छात्र	0	67	49	8	27	151
	छात्रा	0	64	49	8	21	142
	योग	0	131	58	16	48	293
5	छात्र	0	64	65	5	26	160
	छात्रा	0	37	26	2	13	78
	योग	0	101	91	7	39	238
6	छात्र	0	20	27	0	30	77
	छात्रा	0	25	5	0	12	42
	योग	0	45	32	0	42	119
7	छात्र	0	32	24	0	22	78
	छात्रा	0	23	14	0	9	46
	योग	0	55	38	0	31	124
8	छात्र	0	30	11	0	15	56
	छात्रा	0	11	5	0	68	24
	योग	0	41	16	0	23	80
महायोग	छात्र	23	446	431	113	268	1281
	छात्रा	19	385	280	102	211	997
	योग	42	831	711	215	479	2288

कक्षावार नामांकन—2002 : रा.गा.पा.

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	287	623	1729	1780	1317	5736
	छात्रा	292	736	1317	1990	1468	5803
	योग	597	1359	3046	3770	2785	11539
2	छात्र	136	368	1372	461	916	3253
	छात्रा	131	311	912	309	701	2364
	योग	267	679	2284	770	1617	5617
3	छात्र	104	260	854	511	727	2456
	छात्रा	120	203	444	300	449	1516
	योग	224	463	1298	811	1176	3972
4	छात्र	109	281	741	590	608	2329
	छात्रा	129	159	238	199	338	1073
	योग	238	440	979	789	956	3402
5	छात्र	6	0	14	6	83	109
	छात्रा	1	0	7	0	37	45
	योग	7	0	21	6	120	154
योग	छात्र	642	1532	4710	3348	3651	13883
	छात्रा	673	1409	2918	2798	3003	10801
	योग	1315	2941	4628	6146	6654	24684

कक्षावार नामांकन-2002 : वैकल्पिक विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	12	194	42	216	52	516
	छात्रा	10	174	36	219	28	467
	योग	22	368	78	435	80	983
2	छात्र	0	0	0	0	0	0
	छात्रा	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0
3	छात्र	0	0	0	0	0	0
	छात्रा	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0
4	छात्र	0	0	0	0	0	0
	छात्रा	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0
5	छात्र	0	0	0	0	0	0
	छात्रा	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0
योग	छात्र	12	194	42	216	52	516
	छात्रा	10	174	36	219	28	467
	योग	22	368	78	435	80	983

कक्षावार नामांकन—2002 : गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	1512	504	1696	125	431	4268
	छात्रा	679	215	967	80	149	2090
	योग	2191	719	2663	205	580	6358
2	छात्र	932	271	1305	110	189	2807
	छात्रा	950	114	570	65	68	1767
	योग	1882	385	1875	175	257	4574
3	छात्र	276	248	668	45	155	1392
	छात्रा	341	76	302	38	56	813
	योग	613	324	970	83	212	2206
4	छात्र	48	202	502	72	103	927
	छात्रा	66	47	188	42	27	370
	योग	114	249	690	114	130	1297
5	छात्र	47	136	341	51	37	612
	छात्रा	67	32	128	37	7	271
	योग	114	168	469	88	44	883
योग	छात्र	2815	1361	4512	403	927	10018
	छात्रा	2103	484	2155	262	321	5325
	योग	4918	1845	6667	665	1248	15343

कक्षावार नामांकन-2002 : गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड	रेवदर	योग
1	छात्र	416	156	1696	507	134	2909
	छात्रा	450	79	967	254	85	1835
	योग	866	235	2663	761	219	4744
2	छात्र	311	125	1305	458	42	2240
	छात्रा	221	61	570	314	19	1185
	योग	532	186	1875	772	61	3425
3	छात्र	220	106	668	449	54	1497
	छात्रा	160	42	302	260	15	779
	योग	380	148	970	709	69	2276
4	छात्र	60	106	502	458	51	3055
	छात्रा	80	36	188	234	9	547
	योग	140	142	690	690	60	1722
5	छात्र	61	107	341	449	46	2269
	छात्रा	55	41	128	249	17	490
	योग	116	148	469	698	63	2759
6	छात्र	245	83	58	515	35	976
	छात्रा	98	29	28	235	0	390
	योग	343	112	126	750	35	1366
7	छात्र	35	43	43	529	26	676
	छात्रा	76	15	24	212	0	327
	योग	211	58	67	741	26	1003
8	छात्र	51	25	48	524	0	648
	छात्रा	11	19	17	262	0	309
	योग	62	44	65	786	0	957
योग	छात्र	1499	921	4701	3889	388	11398
	छात्रा	1151	3434	2224	2018	145	5881
	योग	2650	1264	6965	5907	533	17279

कक्षावार नामांकन-2002 : गैर सरकारी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक
 विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	0	157	973	0	0	1130
	छात्रा	0	76	455	0	0	531
	योग	0	233	1428	0	0	1661
2	छात्र	0	113	377	0	0	490
	छात्रा	0	65	172	0	0	237
	योग	0	178	549	0	0	727
3	छात्र	0	108	311	0	0	419
	छात्रा	0	52	130	0	0	182
	योग	0	160	441	0	0	601
4	छात्र	0	106	234	0	0	340
	छात्रा	0	42	72	0	0	112
	योग	0	148	306	0	0	452
5	छात्र	0	97	167	0	0	264
	छात्रा	0	32	52	0	0	84
	योग	0	129	219	0	0	548
6	छात्र	167	128	98	649	0	1042
	छात्रा	42	14	28	279	0	363
	योग	209	142	126	928	0	1405
7	छात्र	166	129	43	501	0	839
	छात्रा	97	15	24	255	0	391
	योग	263	144	67	756	0	1220
8	छात्र	58	110	48	398	0	614
	छात्रा	15	11	17	192	0	234
	योग	73	121	65	590	0	849
योग	छात्र	391	948	2251	1548	0	5138
	छात्रा	154	307	950	726	0	2137
	योग	545	1255	3201	2274	0	7275

कक्षावार नामांकन—2002 : शिक्षा कर्मी विद्यालय

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड़	रेवदर	योग
1	छात्र	65	0	335	441	177	1018
	छात्रा	64	0	232	407	202	905
	योग	129	0	567	448	379	1923
2	छात्र	39	0	231	420	63	753
	छात्रा	42	0	147	232	61	482
	योग	81	0	378	652	124	1235
3	छात्र	50	0	181	312	70	613
	छात्रा	82	0	55	102	35	274
	योग	132	0	236	414	105	887
4	छात्र	53	0	150	246	65	514
	छात्रा	29	0	53	120	28	230
	योग	82	0	203	366	93	744
5	छात्र	83	0	153	208	118	562
	छात्रा	26	0	48	87	39	200
	योग	101	0	201	295	157	762
महायोग	छात्र	290	0	1050	1593	513	3446
	छात्रा	243	0	535	993	365	2136
	योग	533	0	1585	2586	878	5582

2.4.3 प्रबन्धन के अनुसार नामांकन :- जिले में राजकीय विद्यालय में कुल

नामांकन 144928 है। जिसमें 86120 छात्र एवं 59108 छात्राएँ हैं। निजी

विद्यालय में कुल नामांकन 31100 जिसमें 20389 छात्र एवं 10711 छात्राएँ हैं।

निम्न तालिका में राजकीय और निजी विद्यालयों का नामांकन दर्शाया गया है

:-

प्रबन्ध अनुसार नामांकन-2002 (कक्षा 1 से 8)

कक्षा		शिवगंज	सिरोही	पिण्डवाडा	आबूरोड़	रेवदर	योग
राज. विद्या.	छात्र	8714	18245	23607	12437	23117	86120
	छात्रा	6981	13301	15896	8963	13967	59108
	योग	15395	31546	39503	21400	37084	144928
निजी	छात्र	5038	3235	4743	6058	1315	20389
	छात्रा	2985	1133	2260	3867	466	10711
	योग	8023	4368	7003	9925	1781	31100
योग	छात्र	13752	21480	28350	18495	24432	106509
	छात्रा	9966	14434	18156	12830	14433	69819
	योग	23418	35914	46506	31325	38865	176328

2.5 **शुद्ध नामांकन अनुपात :-** सिरोही जिले का शुद्ध नामांकन अनुपात कुल जनसंख्या 6-14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं वास्तविक नामांकन के आधार पर कुल शुद्ध नामांकन अनुपात 83.87 बालकों का 97.89 तथा बालिकाओं का 67.83 है।

नामांकन 2002

कुल जनसंख्या 6-14

बालक	92851
------	-------

बालिकाएँ	81092
----------	-------

कुल	173943
------------	---------------

कुल नामांकन 6-14

बालक	90894
------	-------

बालिकाएँ	55009
----------	-------

कुल	145903
------------	---------------

सत्र 2002—2003

कुल जनसंख्या 6-14

बालक 90599

बालिकाएँ 89863

कुल 180462

कुल नामांकन 6-14

बालक 99723

बालिकाएँ 80546

कुल 170269

2.6 **ठहराव दर** :— सत्र 1994—95 में कक्षा—1 का नामांकन एवं सत्र 2001—2002

में कक्षा—8 के नामांकन के आधार पर जिले की ठहराव दर मात्र 19.19 है जो कि बहुत ही कम है, सर्व शिक्षा अभियान में इसे विभिन्न गतिविधियों द्वारा धीरे-धीरे बढ़ाते हुए सत्र 2010 तक शत प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

2.7 **अध्यापकों का विवरण** :— जिले में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1048 अध्यापक कार्यरत हैं। जिसमें 763 पुरुष और 285 महिलायें हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में में 969 पुरुष और 302 महिलायें अध्यापिकायें हैं। कुल 1271 अध्यापक हैं। वर्तमान में शिक्षा कर्मी परियोजना में भी जिले के चार खण्डों में कार्यरत हैं। जिसमें 130 पुरुष एवं 15 महिला अध्यापिकाएँ कार्यरत हैं। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में 385 पुरुष पैराटीचर एवं 24 महिला पैराटीचर को लगाया गया है। कुल 409 पैरा टीचर कार्यरत हैं।

कार्यरत शिक्षक विद्यालयवार निम्नानुसार है :-

क्र.	स्लॉक का नाम	प्राथ.वि.			रागाया.			उ.प्रावि.			शिक्षाकर्मी			योग		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	शिवगंज	126	11	137	19	3	22	177	54	231	14	0	14	336	68	404
2	थसरोही	149	83	232	47	6	53	226	89	315	0	0	0	422	178	600
3	पिंडवाड़ा	210	44	254	104	6	110	242	10	252	34	3	37	590	63	656
4	आवूरोड़	85	95	180	93	8	101	151	107	258	57	6	63	386	216	602
5	प्रेवदर	193	52	245	122	1	123	173	42	215	25	6	31	515	102	617
	योग	763	285	1048	385	24	409	969	302	1271	130	15	145	2249	627	2876

2.7.1 शिक्षक अनुसार विद्यालय की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विद्यालय	1 शिक्षक	2 शिक्षक	3 शिक्षक	4 शिक्षक	5 शिक्षक	6 शिक्षक	7 शिक्षक	8 शिक्षक	8 से अधिक
1	प्राथ.	40	154	39	30	11	13	16	3	2
2	उ.प्राथ.	4	6	8	14	26	18	44	25	3
3	रागापा.	324	37	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य	33	28	14	6	1	0	0	2	0
	योग	401	225	61	50	38	31	60	30	60

2.7.1 रिक्त पदों की सूचना :- जिले में सर्वाधिक रिक्त पद रेवदर ब्लॉक में है और सबसे कम रिक्त पदों की संख्या आबू रोड ब्लॉक में है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, एवं रा.गा.पा.में कुल 410 पद रिक्त हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 1:40 के अनुपात में पैराटीचर के द्वारा पदों को भरा जायेगा ।

क्र. सं.	ब्लॉक	प्राथमिक		उ.प्राथमिक		रा.गा.पा.		रिक्त पदों का योग
		कार्यरत	रिक्त	कार्यरत	रिक्त	कार्यरत	रिक्त	
1	सिरोही	232	54	315	27	53	29	110
2	शिवगंज	137	27	231	22	22	0	49
3	पिण्डवाडा	291	28	252	23	110	16	67
4	आबूरोड़	180	6	258	17	101	16	39
5	रेवदर	245	58	215	79	123	8	145

2.8 छात्र शिक्षक अनुपात : वर्तमान में जिले की नामांकन के आधार पर टी.पी.आर. की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है। सर्व शिक्षा अभियान में 1:40 के अनुपात में टी.पी.आर. को लाया जायेगा।

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ज्ञ 2001.2002

क्र.	ब्लॉक का नाम	प्राथ.वि.			उ.प्रा.वि.			रा.गा.पा.		
		नामांकन	कार्यरत	टी.पी.आर	नामांकन	कार्यरत	टी.पी.आर	नामांकन	कार्यरत	टी.पी.आर
1	शिवगंज	8146	137	60:1	8259	231	36:1	1315	22	60:1
2	सिरोही	12070	232	52:1	12209	315	39:1	2941	53	56:1
3	पिंडवाड़ा	15923	291	54:1	11331	252	45:1	7628	110	69:1
4	आबूरोड़	8228	180	45:1	6530	258	25:3	6146	101	57:1
5	खेदर	13384	245	55:1	12975	215	60:1	6654	123	54:1
	योग	57751	1085	53:1	51304	1271	38:1	24684	409	60:1

स्रोत :- प्रारंभिक शिक्षा, सिरोही

2.9 विद्यालयों की भौतिक स्थिति :- जिला विद्यालय भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से औसत स्तर पर है। प्राथमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार डीपीईपी परियोजना द्वारा किये जाने से 90 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय बेहत्तर स्थिति में आ गये हैं। परन्तु 181 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 159 विद्यालय की स्थिति मरम्मत योग्य है। राजीव गांधी पाठशालाओं में शौचालय की व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अतः 469 शौचालयों की आवश्यकता होगी। 115 उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो या दो से अधिक अतिरिक्त कक्ष कक्षों की आवश्यकता है। वर्तमान में रा.गा.पा.एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 388 में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

2.10 प्रारम्भिक शिखा का प्रशासनिक ढांचा :—

प्रारम्भिक शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने, प्रत्येक स्तर की शिक्षा व्यवस्था का नीहित मानदण्डानुसार संचालन एवं समन्वय हेतु एक उपयुक्त प्रशासनिक इकाई का होना आवश्यक है। जिले, खण्ड एवं ग्राम विद्यालय स्तर पर नियमानुसार प्रशासनिक ढांचा निर्मित किया गया है।

जिला स्तर

1. जिला प्रमुख जिला परिषद (राजनैतिक प्रमुख)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासनिक)
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शैक्षिक प्रशासन)
4. अति. जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रशासन)

खण्ड स्तर

1. विकास अधिकारी
2. अति. विकास अधिकारी कम (ब्लॉक प्रा.शिक्षा अधिकारी)
3. अवर विद्यालय निरीक्षक-3

ग्राम स्तर —

1. प्रधानाध्यापक

2.11 अन्य योजनाएँ :—

2.11.1 महिला एवं बाल विकास विभाग :— जिले में महिला एवं बाल विकास की पांच परियोजनाएं चल रही है जिसमें 620 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 2001 में पोषाहार वितरण में 98.43 प्रतिशत उपलब्धि रही है, अब तक कुल 3 लाख 28 हजार 57 तथा करीब सात हजार गर्भवती महिलाओं, दुध पिलाती माताओं एवं बच्चों को पोषाहार वितरित कर लाभान्वित किया जा रहा है। स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में विभाग ने 96.93 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करते हुये 1 लाख 37 हजार 170 बच्चों को लाभान्वित कर शैक्षिक वातावरण का निमार्ण किया है। विभाग के एन.एच.ई.डी. से 82 हजार 636 को लाभान्वित किया गया है।

2.11.2 **समाज कल्याण विभाग** :— सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1999–2000 में 181 छात्रों को 1.05 लाख रूपये, वर्ष 2000–2001 में 376 छात्रों को 1.89 लाख एवं 2001–2002 में अक्टूबर माह तक 109 छात्रों को 55 हजार रूपये की विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है।

विकलांग सहायता के तहत वर्ष 2000–2001 में 110 व्यक्तियों को 1.99 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध कराई गई।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2000–2001 में 26 प्रशिक्षणार्थियों को 45 हजार एवं वर्ष 2001–2002 में अक्टूबर 2001 तक 16 प्रशिक्षणार्थियों को 37 हजार रूपये की सहायता सुलभ कराई जाकर लाभान्वित किया गया है। जिले में अनुसूचि जाति व जनजाति के बालकों के उत्थान के लिये 13 छात्रावास संचालित हैं।

2.11.3 **शिक्षाकर्मी परियोजना**

राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में शिक्षाकर्मी परियोजना स्वीडिश इन्टरनेशनल डिवलपमेन्ट एजेन्सी (सीडी) के सहयोग से प्रारंभ की। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में जनसहभागिता में सुधार लाना एवं गुणवत्ता बढ़ाना है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा खोले गये प्राथमिक विद्यालयों में से समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया जाता रहा है। सभी को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से विद्यालय विहिन ग्रामों/झाणियों में भी नवीन शिक्षाकर्मी विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इसी क्रम में सिरोही जिले के दूर दराज दुर्गम स्थानों पर विशेषकर पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ एवं रेवदर खण्डों में शिक्षा कर्मी विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

इस योजनान्तर्गत प्रहर पाठशालायें भी संचालित होती हैं जो कि आवश्यक एवं कठिन गतिविधि है। इसमें वे बालक/बालिकायें अध्ययन करने के लिए आते हैं जो दिन में कार्य में व्यस्त रहते हैं, जिनमें विशेषकर बालिकाएं होती हैं। प्रहर पाठशालाओं को दिवसीय विद्यालय के शैक्षिक स्तर के बराबर रखने के लिए परियोजना में सतत प्रयास किये जाते रहते हैं।

2.11.4 डी.पी.ई.पी.परियोजना –

राज्य में विद्यालय से वंचित बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने की चुनौती को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने सम्पूर्ण राजस्थान को विभिन्न परियोजना क्षेत्र में लाने का निर्णय किया। इस व्यूह रचना के अन्तर्गत 13 जिलों में लोक जुम्बिश व 19 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से विश्व बैंक, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता से “जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम” (डी.पी.ई.पी.) का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 1999 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा अलवर जिले के खानपुर मेवात कस्बे में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सी.आर.सी.का शिलान्यास भी किया गया।

अवधारणा :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना न होकर एक दीर्घकालिक बहुआयामी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम निम्न अवधारणाओं पर आधारित है।

1. प्रक्रियाओं में लचीलापन
2. विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन
3. सामाजिक समता

नियोजन प्रक्रिया

3.1 भूमिका :-

सर्व शिक्षा अभियान सर्वव्यापी, सर्व सुलभ प्राथमिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ, एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा स्त्री, पुरुष में शैक्षिक असमानता तथा सामाजिक विषमता को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है। इसके निमित्त नवम् पंचवर्षीय योजना में केन्द्र, राज्य का अंशदान 85:15 दशम पंचवर्षीय योजना में 72:25 तथा इसके पश्चात् 50:50 की साझेदारी होगी। सामुदायिक सहभागिता तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था पर यह अभियान आधारित है। गांव को योजना निर्माण की इकाई मानकर विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर की योजना तैयार करना इसकी अपनी विशेषता है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसकी व्यवस्थित एवं सुदृढ़ योजना पर निर्भर करती है। वृहत् कार्यक्रमों के लिए गंभीरता से योजना निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। योजना निर्माण हेतु रा.प्रा.शि.प.के मार्गदर्शन में विभिन्न जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सिरोही जिले से सहायक जिला परियोजना समन्वयक श्री बी.आर.पुरोहित ने भाग लिया। श्री पुरोहित के मार्गदर्शन में जिला कौर टीम का गठन किया गया है। श्री सुनिल कुमार गुप्ता एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा संकुल संदर्भ सहयोगी ने सदस्य के रूप में कार्य किया। जिसमें श्री मनकामेश्वर श्रीमाली बी.आर.सी.एफ. एवं श्री छगन लाल कुम्हार आर.पी.ने इसको पूर्ण कर अन्तिम रूप दिया।

3.2

योजना समिति का गठन :-

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिला योजना समिति का गठन 1997 में किया गया है। जिले के चार शिक्षा सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित किया एवं योजना निर्माण हेतु उपयोगी प्रशिक्षण दिया गया है। योजना समिति द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव तथा गुणवत्ता के विकास आदि के मुद्दों पर विभिन्न गोष्ठियों एवं सेमीनारों में विचार विमर्श किया गया। योजना समिति द्वारा ग्राम स्तर से जिला स्तर तक बैठके बुलाई गई। इन बैठकों में अध्यापकों, शिक्षा विदों, स्वयं सेवी संस्थाओं, पंचों, सरपंचों, प्रधानों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों एवं जागरूक नागरिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की गणना कराई गई। जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिह्नित किया गया जो विद्यालय नहीं जाते। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को चिह्नित किया गया एवं समाधान खोजने के प्रयास किये गये।

3.2.1

ग्राम स्तर पर :-

ग्राम स्तर की बैठकों में शाला प्रबन्धन समितियों के सदस्यों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। समस्त विद्यालयों में विद्यालय विकास हेतु शाला प्रबन्धन समितियों के प्रशिक्षणों में नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर विचार-विमर्श किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात एस.एम.सी. के सहयोग से गांव के शैक्षिक विकास की योजनाएं तैयार की गई। गांव को इकाई मानकर कुल जनसंख्या में से कुल 6-14 आयु वर्ग के बच्चों एवं उनकी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया गया।

3.2.2 ब्लॉक स्तर पर :—

खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के प्रधान की अध्यक्षता में शिक्षा समिति का गठन किया गया है। जिसकी समय-समय पर बैठके आयोजित की गई। इन बैठकों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के प्रयासों की चर्चा की जा रही है। समिति की बैठकों में नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक समस्याओं एवं समाधानों पर विचार विमर्श किया गया।

3.2.3 जिला स्तर पर :—

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन बैठकों में जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर एवं पंचायत समिति के प्रधान, ब्लॉक प्रार. शिक्षा अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को बुलाकर अभियान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। जिला स्तर की बैठकों में जिले की प्राथमिक शिक्षा एवं उसकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया।

2	जिला कलेक्टर डीपीसी	जिला कलेक्टर	जिले के मैदाय, प्रधान, सराय, शौश्के समिति के सदस्य, जिला अधिकारी बॉक्स प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विकास अधिकारी, नगर पालिं के अधिकारी, लिंग आयोजन एवं साधिक्य की अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, शौश्के समिति के सदस्य कुल	<ul style="list-style-type: none"> - योजना निर्माण - नामांकन की रिपोर्ट - ठहराय की समस्या - गुणवत्तापूर्ण शिक्षण - शिक्षकों का विदालयों में न पहुँचना। - शिक्षकों का छात्र अनुषुप्ति में पदभापन न होना। - 8वीं कक्षा तक निश्चुक पाठ्य पुस्तक विवरण - कक्षा-8 तक पोशाहार वितरण - विद्यालय भवनों का निर्माण - अतिरिक्त कक्षों का निर्माण - विद्यालयों में जल सुविधा उपलब्ध करवाना। - लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग पेशाव घर का निर्माण - चारदीवारी का निर्माण - भवनों का मरम्मत - अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति - खेल समग्री का वितरण - बच्चों का 8वीं कक्षा तक स्वास्थ्य परीक्षण - बलायन करने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था - विद्यालयों में पुस्तकालयों की समुचित व्यवस्था एवं नियमित पुस्तक वितरण - छात्राओं के लिए अलग से खेलकूद की व्यवस्था - विद्यालयों में उत्सव त्यौहार आदि का नामा गया। - विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का समय-समय पर आयोजन - जन परिनियतों को आमंत्रित किया जाना। - शिक्षक अधिकारक संघ की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाना। - व्यवस्था आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन - जनसंख्यक वर्ग कमी बढ़ी आयु वर्ग की बच्चियों के लिए मुख्य धारा की शिक्षा की व्यवस्था करना। - शिक्षकों का असमान वितरण - अप डाउन की समस्या 	<ul style="list-style-type: none"> - नेश्चुक पुस्तक प्रतिरण पर जोर दिया - कक्षा 8 तक मिडडे सील की व्यवस्था करने पर जोर दिया। - नामांकन पर सताश जताया - ठहराय के प्रयास के लिए आनन्ददायी शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण हेतु सहयोग देने पर सहमति - आतेरिक्त कक्ष कक्ष जल व्यवस्था, शौचालय निर्माण पर सहमति - शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया तथा आवश्यकता बताई गयी। - मदरसों में पैराटीवर की नियुक्ति पर सहमति - नामांकन वृद्धि पर अतिरिक्त पैराटीवर की नियुक्ति की आवश्यकता - प्रत्येक 1/2 मी. की दूरी पर मौतिक सुविधा उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी - 3 किमी. पर उच्च प्राधानिक विद्यालय आवश्यकता पर सहमति बनी - विद्यालयों में चार-दीवारी के निर्माण पर जोर दिया गया।
---	---------------------	--------------	--	--	--

3.3 शिक्षा समितियों एवं दलों की बैठकों का विवरण इस प्रकार है—

सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी देने व जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से खण्ड स्तर की योजना निर्माण के लिए जिले की 5 पंचायत समितियों में ब्लॉक शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सितम्बर, दिसम्बर व 2001 व मार्च 2002 में किया गया। इन बैठकों में प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत समिति की शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षाविदों, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, शिक्षक संगठन के सदस्यों, विकास अधिकारी को बुलाया गया। इन बैठकों में सर्वशिक्षा अभियान की जानकारी प्रदान की गई। डीपीईपी के खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी ने डीपीईपी योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि सर्वशिक्षा अभियान में भी 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को केन्द्र बनाकर उन्हें 2007 तक पांचवी एवं 2010 तक आठवीं उत्तीर्ण करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी। इन्हीं बैठकों में संकुल से प्राप्त योजना की चर्चा की गई व जनप्रतिनिधियों को अपने सुझाव देने हेतु कहा गया। जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों ने डीपीईपी के कार्यों की सराहना की व उत्साहपूर्ण सर्वशिक्षा अभियान की योजना निर्माण व क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदार रहकर सहयोग करने की इच्छा जताई।

3.4 शिक्षा आपके द्वारा :-

19 नवम्बर 2001 में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा लागू यह योजना पूरे राज्य में एक साथ शुरू की गई है। इस योजना में शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 के शैक्षिक सर्वे को

आदिनांक किया जाकर सुविधाओं की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है।

शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव को नियोजित तरीके से सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। 0-6 व 6-14 आयु वर्ग के बच्चों का (शहरी/ग्रामीण) घर-घर जाकर सर्वे किया गया है। आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक विद्यालय, ब्रिज कोर्स, छात्रावास, शिक्षा मित्र केन्द्रों को चिह्नित किया गया है। इस योजना का अनुसरण जिले स्तर पर जिला अधिकारी खण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटियों द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित “प्रशासन गांव के संग” अभियान में भी इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई है। “शिक्षा आपके द्वार” योजनान्तर्गत सिरोही जिले में दिनांक 06.11.2001 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधुनिकरण कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 08.11.2001 को जिले में सभी पांचों ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय बैठकें आयोजित की गई। जिनमें शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी तथा भविष्य की योजनान्तर्गत इस कार्यशालाओं में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। जिसमें शिक्षा विभाग, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रभारी अधिकारी के रूप में जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी रखा गया है।

3.4.1 आदिनांक कार्य :—

दिनांक 19.11.2001 का जिले की सभी ग्राम पंचायतों पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जिनमें “शिक्षा आपके द्वार” कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साथ ही इस योजना का प्रसार-प्रचार किया गया। ग्राम स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जो भविष्य में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम की मोनिटरिंग करेगी तथा इस योजना को गति देगी।

दिनांक 20.06.2002 से 30.06.2002 तक सभी अध्यापकों ने गांव के प्रतिनिधियों के साथ घर-घर जाकर शिक्षा से जुड़े हुए तथा वंचित 6-14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं की सूची तैयार की तथा शिक्षा दर्पण 2000 के आंकड़ों को अपडेट किया। सर्वे के अनुसार जिले में 6-14 आयु वर्ग के बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते जो निम्नानुसार है :-

30 जून 2002 को विद्यालय नहीं जाने वालों की संख्या

जिला	तहसील	छात्र	छात्रा	योग
सिरोही (ग्रामीण)	सिरोही	1604	2069	3673
	शिवगंज	424	1179	1603
	पिण्डवाडा	2308	4708	7016
	आबूरोड़	2947	4884	7831
	रेवदर	702	2167	2869
	योग	7985	15007	22992

जून 2002 में शहरी क्षेत्र के वंचितों की संख्या—

जिला	तहसील	छात्र	छात्रा	योग
सिरोही (शहरी)	सिरोही	142	232	374
	शिवगंज	52	116	168
	पिण्डवाडा	95	201	296
	आबूरोड़	153	196	349
	आबू पर्वत	62	102	164
	योग	504	847	1351

20 जून 2002 को विधालय प्रारम्भ किए जिसमें समस्त अध्यापकों को वंचित छात्रों की सुचि दि गई व उनको विधालय से जोड़ने के प्रयास चालू किए।

जिले में कुल नामांकन कक्षा I से VIII – दिसम्बर 2002

बालक	बालिका	योग
102892	87007	189899

वंचितों की संख्या – दिसम्बर 2002

बालक	बालिका	योग
3121	7072	10193

जिले में कुल वंचित बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए औपचारिक तथा शिक्षा मित्र केन्द्रों से जोड़ने के प्रबल प्रयास किये गये।

चूंकि 2003 तक प्रत्येक वंचित बालक/बालिका को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ा जाना है। अतः नामजद सूचियां बनाकर शिक्षक तथा गांव में स्थित अन्य कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

3.4.2 प्रशासन गांव के संग :-

इसी के परिणामस्वरूप प्रशासन गांव के संग अभियान में भी सभी के सामूहिक प्रयास से 1900 बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा गया।


शिक्षा के सार्वजनिकरण के अन्तर्गत शिक्षा से वंचित 6-14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा दर्पण सर्वे (शहरी क्षेत्र) को राज्य सरकार ने 26.01.2002 से प्रारंभ करवाया गया। शिक्षा दर्पण सर्वे (शहरी क्षेत्र) हेतु जिला स्तर पर दक्ष प्रशिक्षकों को कार्यशाला का आयोजन दिनांक 22.01.2002 को रखा गया। शहरी क्षेत्र के दक्ष प्रशिक्षकों ने दिनांक 24.01.2002 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शहर क्षेत्र सर्वे कार्य 25.01.2002 से प्रारंभ कर 05 फरवरी 2002 तक सम्पन्न किया गया।

3.5 सामाजिक सर्वेक्षण :-

इसका मुख्य उद्देश्य समाज कारकों और क्रियाविधि द्वारा वास्तविकता का मूल्यांकन करना है। सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य विकास अध्ययन संस्थान जयपुर द्वारा अलाभान्वित बच्चों की सामाजिक पहचान व समाज में उनकी स्थिति व विद्यालय में उनके सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना था।

सिरोही एक आदिवासी बाहुल्य जिला है इस जिले की भौगोलिक और आर्थिक विषमताओं को मध्य नजर रखते हुए आदिवासी जनसंख्या को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने की कार्य योजना व उनके अर्द्ध निर्मित मकानों के उनमुक्त व आनन्ददायी जीवन के प्रति सोच को ध्यान में रखा गया इस संस्था ने उनकी मुख्य समस्यों उनके प्रकार व उनके निराकरण के लिये विभिन्न प्रकार से चिन्हित किया है।

इनकी समस्याओं को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है –



इन समस्याओं को शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर निम्न शीर्षकों से सम्बन्धित किया गया है –

1. शिक्षकों की अनुपलब्धता एवं गैर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार
2. शिक्षकों को सौंपे जाने वाले विभिन्न क्रिया कलापों में उनकी भागीदारी
3. संसाधनों की कमियां
4. जातिगत विचार और शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया।

सर्वे के आधार पर निम्न अपचारात्मक सुझाव दिये गये –

1. मातृ भाषा में अध्यापन अनिवार्य किया जाय – जिसमें हिन्दी में उसका अनुकरण किया जा सके।
2. विद्यालय शिक्षण को बालक के कुल समय की उपलब्धता के आधार पर एकीकृत किया जाय।
3. विभिन्न सरकारी शैक्षिक कार्यक्रमों व विभिन्न विभागों द्वारा प्रयोजित योजनाओं को प्रभावी समन्वय के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जाय। संसाधनों व कार्यों की नकल से बचा जाय।
4. ग्राम के सभी नागरिकों की क्रियात्मक भागीदारी के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम सभा में किया जाय।
5. शिक्षकों व वरिष्ठ छात्रों द्वारा कम उपलब्धि के छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण मुहैया कराया जाय।
6. आर्थिक सहयोग के लिए – भाषाशाहों व गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क व सहयोग लिया जाय।

3.6 आधार रेखा प्राप्ति अध्ययन :– ,ठेंमसपदम'मतअमलद्व

आधार रेखिय सर्वेक्षण का जिम्मा "प्ल्ज उदयपुर को निम्न मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सौंपा गया –

1. सिरोही जिले में कौन से विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा के प्राप्ति स्तर के अन्तिम छोर पर है उन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. शहरी व ग्रामीण छात्रों के मध्य प्राप्ति स्तर में यदि कोई अन्तर है तो उसकी खोज करना।
3. शहरी व ग्रामीण छात्रों के मध्य बौद्धिक अधिगम स्तर की खोज करना व उनके लक्षि स्तर के अन्तर की पहचान व पहुंच सुनिश्चित करना।

सिरोही जिले में अनुजाति एवं अनुजनजाति का बाहुल्य है। पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड़ तहसील में अ.ज.जा.की जनसंख्या आधी से भी अधिक है। रेवदर तहसील में अनुसूचित ज.जा. का बाहुल्य है। जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएँ हैं –

पहुँच –

सिरोही लि में गांवों एवं फलीयों की की स्थिति काफी दूर-दूर तक है। लड़कियों के लिए असुरक्षित विद्यालय स्थान, घने जंगल, पहाड़ियों एवं नाले आदि के कारण बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड़ तहसील में आदिवासी जाति भील एवं गरासिया की छोटी-छोटी बस्तियां हैं। जिसमें से 8–10 घर दूर-दूर तक बने होते हैं। इन जातियों में मुख्य रूप से जहां उनका खेत होता है, वहीं उनका घर होता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय इनकी पहुँच से बाहर होता है। जिले में रेबारी एवं गाड़लिया लुहार जाति भी निवास करती है। रेबारी जाति का जिले में बाहुल्य है। इनका मुख्य कार्य भेड़, बकरी एवं ऊँटों को पालना है। जानवरों को चराने का परम्परागत धंधा करते हैं। इन जातियों में बालिका शिक्षा का अभाव देखा जाता है। ये अपनी पुरानी सोच के कारण बच्चों को कम पढ़ाते हैं।

नामांकन एवं ठहराव :–

जिले का कुल नामांकन 2000–2001 में 1,45,903 था। जिसमें कुल छात्र 90,894 एवं छात्रा 55009 थी। अनुजाति का नामांकन 30,885 एवं अ.ज.जा. के कुल

क्षमता विकास :–

जिले में कमजोर प्रबन्धन व संस्थाओं का सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर की शिक्षा का क्षमता विकास नहीं हो रहा है। सेवारत शिक्षकों में प्रशिक्षण का अभाव देखा गया है। समय-समय पर डाईट के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। परन्तु अध्यापकों की उपस्थिति नगण्य होती है। किसी भी संस्था के पास इतना बजट नहीं है कि

सभी जिले में कार्यरत प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जावे। शिक्षक प्रशिक्षण एक आधारभूत मुद्दा है जिससे शिक्षकों में अपना विकास होता है। कमजोर प्रबोधन एवं प्रबन्धन तन्त्र का अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण संस्थागत क्षमता विकास नहीं हो पाता है।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

4.1

भूमिका :-

सर्व शिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध, समेकित प्रयास द्वारा, प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सर्व शिक्षा अभियान से देश की प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गयी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है। जो निम्नानुसार है :-

1. 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा, गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैंक टू स्कूल, शिविर की उपलब्धता।
2. सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की प्राथ.शिक्षा पूरी कर ले।
3. सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर ले।
4. सन्तोषजनक एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा जिसमें जीवनापयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
5. बालक-बालिकाओं में असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक शत-प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना।
7. सर्व शिक्षा के माध्यम से शिक्षा सम्बन्ध इन सभी प्रयासों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जावेगा। ऐसे प्रयास किये जायेंगे

जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर तक प्रारंभिक स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों, छण्डण्डेष्ट्र शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवकों, कलाकारों, महिला संगठनों आदि को सम्मिलित कर इस अभियान को पारदर्शी बनाया जावेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एक अंश के रूप में संस्थागत सुधार किये जायेंगे। इसमें शैक्षिक पद्धति का वस्तु परक मूल्यांकन करना होगा। जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामले, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक स्वामित्व, शिक्षकों की नियुक्ति तथा तैनाती को तर्क संगत बनाना। प्रबन्धन तथा मूल्यांकन, बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सुविधाविहीन वर्गों के लिए शिक्षा, निजी विद्यालयों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों सम्बन्ध मामले सम्मिलित होंगे।

इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित पद्धति अपनायी जायेगी, शैक्षिक प्रबन्ध सूचना पद्धति, सूक्ष्म नियोजन, आयोजना व सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ विद्यालय स्तरीय आंकड़ों का सम्बन्ध स्थापित करेगी।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच सहयोग एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गयी है।

बालिकाओं विशेषकर अनु जाति, जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके अन्तर्गत अल्प संख्यक, विकलांग बच्चों का शैक्षिक सहभागिता पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यक्रम में सुधार करने तथा बाल केन्द्रिय क्रिया कलापों और प्रभावी शिक्षा पद्धतियों को अपनाकर प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा को उपयोगी प्रासंगिक, रोचक बनाने पर विशेष बल दिया जावेगा।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय लक्ष्य –

1. वर्ष 2003 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/वै.वि./शिक्षा मित्र केन्द्रों में प्रवेश हो।
2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें।
4. जीवनोपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा पर विशेष बल।
5. 2010 तक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर शून्य पर लाना/ यानि पलायन को रोकना।

4.3 जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य –

1. वर्ष 2003 तक जिले में सभी 5 विकास खण्ड एवं नगरों के सभी वर्गों के 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को निकटतम प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, राजीव गांधी विद्यालय एवं शिक्षा मित्र केन्द्रों में प्रवेश दिलाना।
2. सामान्य बच्चों के अतिरिक्त विशेष वर्ग यथा पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले निशक्त बालक/बालिकाओं एवं घुमन्तु जातियों के बच्चे जैसे गाड़लिया लुहार, रेबारी, जोगी, भिखारियों के बच्चों आदि के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना।
3. जो बालक/बालिका औपचारिक विद्यालयों से नहीं जुड़ पाये, ऐसे विचित बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर मुख्य धारा में लाना।
4. ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय नहीं जोने वाली एवं विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. आदिवासी क्षेत्रों में नामांकन के विशेष प्रयास करना।

6. विद्यालयों में पर्याप्त यथा शिक्षा कार्य हेतु न्यूनतम कक्षा-कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, बरामदे व चारदीवारी का निर्माण करना।
7. विशेष आवश्यकता वाले निशक्त बालक/बालिकाओं हेतु विद्यालय भवन में रैम्प की व्यवस्था व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
8. शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं व संस्थानों के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा।
9. शिक्षा की उपयोगिता, गुणवत्ता व आकर्षण में वृद्धि हेतु पर्याप्त शैक्षिक उपकरणों के साथ-साथ अध्यापकों के बौद्धिक स्तर व व्यवसायिक दक्षता के अध्ययन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण प्रदान करना।
10. विद्यालयों के प्रबन्धन में जन-सहभागिता सुनिश्चित करना।

इसके अतिरिक्त अध्याय-3 में समस्याएँ एवं मुद्दे के अन्तर्गत वर्णन किया गया है।

4.3.1 पहुंच के लिए विशेष लक्ष्य –

जिले में आज भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनके एक किमी. की परिधी में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। उन बस्तियों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वैकल्पिक विद्यालय खोले जायेंगे। जिले में रेबारी जाति की जनसंख्या भी अधिक है। इन जातियों का मुख्य व्यवसाय पशु-पालन है। रेबारी जाति में बालक शिक्षा नहीं के बराबर है। इन जातियों को शिक्षा से जोड़ने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विशेष प्रयास किये जायेंगे। आबू रोड़ एवं पिण्डवाड़ा ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति भील, गरासियां आदि का बाहुल्य है। इस जाति के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ने हेतु बहुत अधिक प्रयास करेंगे।

4.3.2 नामांकन –

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2002–2003 तक 6–11 आयु वर्ग के बच्चों को शत प्रतिशत नामांकन किया जाना है। अतः नामांकन के लक्ष्य इसी के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। शिक्षा दर्पण सर्वे के अनुसार 2001–02 में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 180552 है। इस वर्ष नामांकन 144928 था। जिनके आधार पर जिले का शुद्ध नामांकन 83.87 प्रतिशत है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना एवं 2010 तक जिले के सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा से जुड़ जाये। राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार जिले के लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं।

4.3.3 ठहराव का लक्ष्य :-

वर्तमान में जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय की ठहराव दर 19.19 है। जो बहुत ही कम है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। 2007 तक प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव दर 100 प्रतिशत एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव दर का लक्ष्य है।

4.3.4 गुणवत्ता सुधार :-

जिले में 'प्लज द्वारा बेसलाईन सर्वे करवाया गया था। सर्वे में गुणवत्ता सुधार हेतु अध्यापकों में शिक्षण कौशल को बढ़ावा देना, प्रबोधन एवं प्रभावी परीवीक्षण की आवश्यकता, सीखने का स्तर न्यून होना, अधिकत्तर बच्चे का अनपढ़ परिवारों से संबंध एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों में गुणवत्ता सुधार हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। बेलाईन सर्वे में यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि जिले में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु उपरोक्त क्षेत्रों में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

अध्याय — 5

पहुँच नामांकन एवं ठहराव

भूमिका :-

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा सुविधाओं का कम होना व दूसी अधिक होना है। प्रत्येक बालक-बालिका के लिए 1 किमी. की सीमा में शिक्षा की सुविधा होना आवश्यक है। साथ ही ऐसे बच्चे जो इन शैक्षिक सुविधाओं में भी कुछ औपचारिकताओं के कारण नहीं जुड़ पाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए यह सीमा समाप्त कर स्थानीय निकायों पर वैकल्पिक व्यवस्था जैसे — वैकल्पिक विद्यालय, ब्रिजकोर्स, शिक्षा मित्र संचालित किये जाने आवश्यक होंगी। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सुनिश्चितता हेतु निम्न व्यूह रचना को क्रियान्वित किया जायेगा।

वैकल्पिक विद्यालय :- जिले में 1998 से डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 24 वैकल्पिक विद्यालय (6 घण्टे) इन व्यवस्थाओं में कमशः 516 बालक एवं 466 बालिका नामांकित हुए हैं। इनमें 983 बालक-बालिका नामांकित हैं लेकिन फिर भी लगभग 10000 बालक-बालिका 'शिक्षा आपके द्वार' सर्वे के आधार पर अभी भी किसी भी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं जुड़ पाये हैं। उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाएं जुटाई जायेंगी। वैकल्पिक विद्यालय 6 घण्टे ब्लॉकवार कक्षा का नामांकन निम्नानुसार है।

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			महायोग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	शिवगंज	12	10	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	22
2.	सिरोही	194	174	368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	174	368
3.	पिण्डवाड़ा	42	36	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	36	78
4.	आबू रोड़	216	219	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	219	435
5.	रेवदर	52	28	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	28	80
	योग	516	467	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	516	467	983

जातिवार नामांकन :- वैकल्पिक विद्यालय 6 घण्टे

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.जा.			सामान्य			योग				
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T		
1.	शिवगंज				12	10	22								12	10	22	
2.	सिरोही	96	76	172	21	22	43	63	53	116	14	23	37	19	174	368	4	
3.	पिण्डवाड़ा	2	1	3	38	23	61	2	12	14	—	—	—	42	36	78		
4.	आबू रोड़	10	8	18	182	161	343	24	50	74	—	—	—	21	219	435	6	
5.	रेवदर	5	12	17	15	6	21	30	7	37	2	3	5	52	28	80		
	योग		113	97	200	268	222	490	128	122	250	16	26	42	516	467	983	

ब्लॉक का नाम	कुल प्राथमिक विद्यालय	कुल उच्च प्राथमिक विद्यालय	क्रमान्वत विद्यालयों की संख्या
सिरोही	69	37	35
शिवगंज	52	33	26
पिण्डवाड़ा	62	37	31
रेवदर	89	42	45
आबू रोड़	51	32	25
योग	323	185	162

5.4 शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन :-

शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालय (6 घंटे) जिनमें 30 का न्यूनतम नामांकन है, को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा एवं प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जावेगा। वर्तमान में जिले में ई.जी.एस. के अन्तर्गत 371 विद्यालय एवं वैकल्पिक विद्यालय 24 डीपीईपी द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा।

ब्लॉकवार ई.जी.एस. एवं वैकल्पिक विद्यालयों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

नाम ब्लॉक	सं. ई.जी.एस	सं. वै. विद्यालय	प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय
सिरोही	44	6	28
शिवगंज	22	1	22
पिण्डवाड़ा	98	2	45
रेवदर	114	2	82
आबू रोड़	93	13	54
योग	371	24	231

5.5 शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा योजना :-

उपलब्ध एवं अन्य प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाओं में न जुड़ जाने वाले विशिष्ट फोकस ग्रुप के बच्चों के लिए कम से कम 15 बच्चों के वंचित होने पर शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा नवाचार के अन्तर्गत जोड़ा जावेगा। साथ ही रात्रिकालीन पाठशाला, चल विद्यालय एवं माईग्रेट होने वाले बच्चों को कार्ड जारी कर उनकी उपलब्धि का लेखा-जोखा रखा जावेगा तथा पुनः बच्चों को लौटने पर उन्हें उपलब्ध सुविधाओं से कार्डस् के उपलब्धि स्तर के आधार पर जोड़ा जावेगा। इस कार्डस से आधार पर यदि वह माईग्रेट होने वाले स्थान पर भी शिक्षा से जुड़ता है तो उनका बढ़े हुए स्तर के अनुसार जोड़ा जावेगा। जो बच्चे अभियान के

अन्तर्गत नामांकित तो हो गये किन्तु यदि उनका निरन्तर ठहराव नहीं है तो उन्हें भी इन्हीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जोड़कर ठहराव सुनिश्चित कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त किया जावेगा। प्रस्तावित नवाचार की व्यूह रचना निम्न प्रकार है –

रात्रिकालीन पाठशाला

ब्रिज कोर्स – आवासीय एवं गैर आवासीय

माईग्रेट होने वाले बच्चों को कार्ड जारी करना

5.6 अध्यापकों की आवश्यकता –

जिले में नामांकन की स्थिति (निम्नानुसार) के आधार पर 1:40 के अनुपात में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी। जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन एवं कार्यरत अध्यापकों की स्थिति के आधार पर निम्नानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी तथा कमोन्तत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी।

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	प्रथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		कुल नामांकन	कार्यरत अध्यापक	आवश्यकता अध्यापक	कुल नामांकन	कार्यरत अध्यापक	आवश्यकता अध्यापक
1.	शिवगंज	8146	137	66	8259	231	–
2.	सिरोही	12070	232	70	12209	315	–
3.	पिण्डवाड़ा	15923	291	107	11331	252	31
4.	आबू रोड़	8228	180	26	6530	258	–
5.	रेवदर	13384	245	90	12975	215	109
योग		57751	1085	359	51304	1271	116

5.7 ठहराव की स्थिति :-

जिले में 1995 की कक्षा 1 का एवं 2002 में कक्षा 8 का नामांकन निम्न प्रकार है –

1995 कक्षा 1 का नामांकन	2002 कक्षा 8 का नामांकन	ठहराव दर
34799	6680	19.99

इस प्रकार ठहराव की स्थिति कुल 19.19 प्रतिशत है जिसको निम्न प्रकार से बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ठहरावदर	27:	40:	57:	70:	75:	80:	95:	100:

5.8 सामुदायिक गतिशीलता :-

सामुदायिक गतिशीलता से आशय समाज विचारों में एक परिवर्तन। एक परिवर्तन से आशय किसी एक क्षेत्र विशेष से न होकर जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र विशेष से न होकर जीवन के हर पहलू में समाज की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास एवं संसाधन जुटाने में बालक के सर्वांगीण विकास व वंचित और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में एक कांतिकारी परिवर्तन लाने से है।

इस हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का गठन, विद्यालय प्रबन्धन समितियों का गठन, जन प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन, शिक्षक अभिभावक संघ को सक्रिय करना, कला जत्थों, बाल मेलों, विकास प्रदर्शनियों, प्रभात फेरियों, रैली, विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रतिशिठत व्यक्तियों के सम्मेलन, ज्ञानियों का प्रदर्शन, पोस्टर, फोल्डर, चार्ट आदि का प्रकाशन कर सहभागिता में व इस्तेमाल करना मुख्य मुख्य गतिविधियां हैं। इसके लिए निम्न उपाय काम में लिये जा सकते हैं :—

1. जन प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क।
2. विद्यालय विकास फण्ड।
3. सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन।
4. ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रचार—प्रसार करना।
5. महिला बैठकों का आयोजन।
6. नामांकन अभियान हेतु विशेष आयोजन।
7. शत—प्रतिशत नामांकन करने वाले संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करना।
8. बाल मेलों का आयोजन।
9. शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।

5.9 व्यावसायिक शिक्षा :-

वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा दोष यह है कि बालक को स्वावलम्बन की ओर नहीं बढ़ाया जा रहा है। यदि शिक्षा के साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को जोड़ दिया जाये तो बालक विद्यालय में अध्ययन करते समय एवं विद्यालय छोड़कर समाज में प्रवेश करें तो वह कुछ धनोपार्जन कर सके जिसके परिणाम स्वरूप यह परिवार एक भार स्वरूप न रहकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग प्रदान कर सकेगा। इसके लिए निम्नांकित गतिविधियों को समायोजित किया जा सकता है —

1. अगरबत्ती बनाना।
2. मोमबत्ती बनाना।
3. साबुन बनाना।
4. अबरी बनाना।
5. धागा पेन्टिंग
6. चाँक स्टिक बनाना।
7. बिजली उपकरणों की मरम्मत।

5.10 विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता एवं पूर्ति :-

विद्यालयों की वर्तमान भौतिक सुविधाओं की स्थिति एवं उस विद्यालय में नामांकित बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्ष, चार दीवारी, शौचालय, भवन विहीन विद्यालय में विद्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा। इस प्रकार जिले में निम्नांकित तालिका के अनुसार भौतिक सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

विद्यालय भवनों की स्थिति :-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्राथ.वि.			रा.गा.पा.			उ.प्रा.वि.			अन्य		
		विद्या सं.	भवन रहित	भवन सहित	विद्या सं.	भवन रहित	भवन सहित	विद्या सं.	भवन रहित	भवन सहित	विद्या सं.	भवन रहित	भवन सहित
1.	शिवगंज	48	3	45	22	8	14	37	4	33	8	1	7
2.	सिरोही	69	9	60	44	20	24	34	6	28	17	9	8
3.	पिण्डवाड़ा	61	1	60	98	73	25	40	6	34	17	2	15
4.	आबूरोड	53	9	44	93	15	78	32	4	28	32	3	29
5.	रेवदर	89	1	88	114	73	41	42	1	41	15	7	8
योग		320	23	297	371	189	182	185	21	164	89	22	67

5:10:2 कक्षा कक्ष (केवल सरकारी विद्यालय)

क्र. सं.	ब्लॉक	प्राथमिक विद्यालय							उच्च प्राथमिक विद्यालय						
		वि. सं.	1	2	3	4	5	झ5	वि. सं.	1	2	3	4	5	झ5
1.	शिवगंज	48	0	4	14	14	6	7	37	4	7	1	6	4	19
2.	सिरोही	69	5	17	18	11	5	12	34	0	0	1	2	4	23
3.	पिण्डवाड़ा	61	1	18	20	12	0	10	40	0	6	2	2	0	30
4.	आबूरोड	53	0	14	11	11	4	11	32	0	0	2	4	4	22
5.	रेवदर	89	0	47	24	7	0	10	42	0	3	2	7	10	22
योग		320	6	100	87	55	15	57	185	0	6	8	21	22	123

5:10:5 चारदीवारी :-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्राथ.वि.			रा.गा.पा.			उ.प्रा.वि.			अन्य		
		विद्या सं.	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	विद्या सं.	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	विद्या सं.	सुविधा युक्त	सुविधा रहित	विद्या सं.	सुविधा युक्त	सुविधा रहित
1.	शिवगंज	52	34	18	22	0	22	37	30	7	8	2	6
2.	सिरोही	69	36	33	44	1	43	37	22	15	17	5	12
3.	पिण्डवाडा	62	25	37	98	0	98	37	30	7	17	5	12
4.	आबूरोड़	51	33	18	93	1	92	32	25	7	32	12	20
5.	रेवदर	89	39	50	114	1	113	42	29	13	15	1	14
योग		323	167	156	371	3	368	185	136	49	89	25	64

5:11 विद्यालय का रख रखाव :-

विद्यालय की भौतिक स्थिति को सुधारने हेतु एवं उनके रख-रखाव के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय, (शिक. संस्क. त विद्या) एवं उ.प्रा.वि. प्रति विद्यालय 5000/- रुपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे। इस राशि का उपयोग विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी किया जा सकेगा।

5.12 पूर्व प्राथमिक शिक्षा :-

ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता के मजदूरी पर जाने से 3-6 आयुर्वर्ग के बालक/बालिका विद्यालय में अपने बड़े भाई-बहिन के साथ कक्षा में बैठे रहते हैं। अतः ऐसे छात्रों में शिक्षा के प्रति रुच्छान बनाने के लिए जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र चलाये जायेंगे। जहां 3-6 आयुर्वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए आनंददायी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के लिए एक-एक महिला निर्देशिका का चयन किया जायेगा। जिले में कुल 322 पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। महिला प्रेरक को मानदेय के रूप में 1200/- प्रतिमाह दिये जायेंगे। महिला प्रेरक को ई.सी.ई. केन्द्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र में रिक्यूरिंग खर्च हेतु 1000/- रुपये एवं नॉन-रिक्यूरिंग खर्च हेतु 2000/- रुपये की व्यवस्था होगी।

5:13 कम्प्यूटर शिक्षा :-

सर्वशिक्षा अन्तर्गत 6-14 आयुर्वर्ग के बालक-बालिकाओं को 2007 तक प्राथमिक तथा 2010 तक कक्षा उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया है, साथ ही कक्षा 3 से जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। जिसकी आपूर्ति चरणबद्ध उ.प्रा.विद्यालय में होगी। उ.प्रा.वि. के अध्यापकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए प्रति विद्यालय 2000/- रुपये व्यय की व्यवस्था रहेगी। कम्प्यूटर के फर्नीचर एवं रख-रखाव हेतु 10000/- रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अध्याय – 6

गुणात्मक शिक्षा

6:1 भूमिका :-

सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य सत्र 2010 तक समस्त 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सिरोही जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर तक इसका विस्तार किया जायेगा। इस अध्याय में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय सुविधा राशि, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, उपचारात्मक कक्षाओं के आयोजन एवं शिक्षकों के विभिन्न प्रशिक्षणों के आयोजन का उल्लेख किया गया है।

6:2 विद्यालय अनुदान राशि (एस.एफ.जी.)

जिले में वर्तमान में 182 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा वर्ष 2002–03 में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कमोन्नत किये जाने का प्रावधान किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन 576 विद्यालयों को प्रतिवर्ष 2000/- रुपये शाला की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

6:3 शिक्षण अधिगम सामग्री :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को आनंददारी एवं खेल विधि पर आधारित शिक्षण एवं कक्षागत अन्तः किया बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 500/- रुपये दिये जायेंगे।

प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जायेगी कि इस राशि का उपयोग बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने हेतु विभिन्न शिक्षण सामग्री का स्वयं निर्माण करेगा।

6:4 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें :-

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक समस्त बालक-बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर भी रखा। 1 से 8 के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जायेगी। इससे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ठहराव एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि को बल मिलेगा।

6:5 पुस्तकालय अनुदान :—

अभियान के तहत समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष 2000/- रूपये की राशि पुस्तकालय पुस्तकों हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। इससे बच्चों को पुस्तकालयी प्रवृत्ति के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा बच्चों के मानसिक विकास एवं सामान्य जानकारी में अभिवृद्धि होगी।

6:6 उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन :—

प्रायः यह देखा गया है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विशेषकर अनूजाति / उनजाति बहुल क्षेत्रों में कक्षा में पिछड़े बच्चों पर अलग से ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः परीक्षा में अनुर्तीण के भय से कमजोर बच्चे / वालेकाएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और यदि उतीर्ण होते भी हैं तो उनका स्तर सतोशजनक नहीं होता है। अतः ग्राम स्तर में ऐसे बच्चों को चिह्नित कर उनके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही की जायेगी। इसके लिए गांव में पढ़े-लिखे किसी स्वयं सेवक शिक्षक को उचित मानदेय पर लगाकर उपचारात्मक शिक्षण कराया जायेगा। सामान्य से कम अधिगम स्तर वाले बच्चों एवं पांचवीं बोर्ड तथा आठवीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राओं को इससे अधिक लाभ होगा।

6.7 प्रशिक्षण :—

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा से गुणात्मक सुधार अधिगम स्तर के प्रतिवर्ष बढ़ाने तथा नवीन विधियों से शिक्षकों को परिचित कराने तथा कक्षा कक्षा में लागू करने हेतु प्रतिवर्ष प्राथमिक शिक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे शिक्षकों के मानसिक सोच में परिवर्तन आया है। साथ ही गुणात्मक सुधार को बल मिला है। सर्व शिक्षा अभियान में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कराने वाले अध्यापकों, अप्रशिक्षित अध्यापकों व सेवापूर्व अध्यापकों को निर्धारित अवधि का निम्नानुसार प्रशिक्षण जिनमें 30 दिन का प्रशिक्षण मानवीय मूल्यों पर आधारित होगा। इससे आगे 6 दिनों का अभ्यास प्रशिक्षण 1 दिन का समस्या निवारण, शिक्षकों द्वारा अनुभूत समस्याओं के समाधान तथा टी.एल.एम. आदि का क्रमशः 10–10 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रशिक्षण तीन तरह के होंगे –

1. सेवारत शिक्षकों के लिए 20 दिन का (9+3+8) क्रमशः प्रेरण व विषय वस्तु, टी.एल.एम., मासिक बैठक
2. अप्रशिक्षित शिक्षण के लिए – 30 दिन + 20 दिन
3. नए अध्यापकों के लिए – 30 दिन + 20 दिन

सेवारत अध्यापकों को प्रतिवर्ष 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें अभिनवन एवं विशय आधारित प्रशिक्षण सम्मिलित है। नवनियुक्त अध्यापकों को प्रारंभ में 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अध्याय – 7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका :-

सर्व शिक्षा अभियान की अप्रतीम सफलता के लिए कुछ ऐसे बिन्दु जिन पर फोकस किया जाना अति आवश्यक है। इन बिन्दुओं को विशिष्ट फोकस ग्रुप के अन्तर्गत लेकर निम्नानुसार महत्वपूर्ण सफलता के प्रयास किये जा सकते हैं।

7.2 जेण्डर संवेदनशीलता :-

समाज में व्याप्त एक विचार जिनका मूल कारण करीब एक हजार वर्षों तक भारत की पराधीनता है। कालान्तर में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक सम्मानजनक थी किन्तु इस पराधीनता के कारण समाज में स्त्रियों को स्वभोग की वस्तु माना जाने लगा एवं उनको परिवार की चारदीवारी में बन्द कर दिया गया।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की इस स्थिति पर विचार किया गया एवं समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान मिले इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान मिले यह जेण्डर संवेदनशीलता है।

जेण्डर संवेदनशीलता से अभिप्राय है महिलाओं के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन लाना।

7.3 ब्रिज कोर्स :-

शिक्षा से वंचित छात्र-छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में लिया गया जिसके अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जो अपनी घरेलू एवं सामाजिक विशम परिस्थितियों के कारण शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए प्रति 15 से 20 बच्चों पर एक ब्रिज कोर्स केन्द्र स्वीकृत किया जाकर उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत आवासीय ब्रिजकोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित किये जायेंगे। आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु 1 लाख 50 हजार बजट का प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है एवं गैर आवासीय ब्रिजकोर्स हेतु 40 हजार रूपये का प्रावधान प्रतिवर्श रखा गया है।

7:4 विकलांग बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा :-

"शिक्षा आपके द्वार" सर्वे अभियान के दौरान सर्वे प्रपत्र में 6 प्रकार के विकलांग बालक बालिकाओं को चिन्हित किया गया। जिनमें से अधिकांश बालक नामांकित तो हो गये किन्तु विशेष प्रकार की विकलांगता वाले बालक अब तक भी शिक्षा से नहीं जुड़ पाये हैं। सर्वे अभियान के दौरान चिन्हित किये गये नामांकित/अनामांकित विकलांग बालकों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं एवं परियोजना के बजट प्रावधानों के अनुसार विकलांगता दूर करने हेतु कैम्पों का आयोजन कर उपकरण उपलब्ध कराना।

7:5 अनुसूचित जाति / जनजाति बालिकाओं के लिए शिक्षा :-

अ.जा./ज.जा बालिकाओं के लिए उनकी सुविधा के अनुसार वैकल्पिक विद्यालय खोलकर अथवा उसी समाज के किसी पढ़े-लिखे युवक अथवा युवती को प्रति छात्रा 40+10 रूपये मानदेय टी.एल.एम. देकर अध्ययन की व्यवस्था की जायेगी एवं एक वर्श में यदि वह युवक अथवा युवती आवंटित छात्र को कक्षा 3 पास करा दे तो विशेष प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

7:6 घुमन्तु परिवार के बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा :-

घुमन्तु परिवारों के बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था हेतु एक ब्लॉक को छोड़ने की सूचना, जिस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं, उस ब्लॉक के बी.आर.सी.एफ. को देगा ताकि वह बी.आर.सी.एफ. उस घुमन्तु परिवार के लिए शिक्षण की व्यवस्था कर सके।

7:7 कामकाजी बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा :-

कामकाजी बालक-बालिकाओं के लिए उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। यदि पशु चराने वाले बालक-बालिका दिन के समय जंगल में ही अध्ययन करना चाहें तो वहां पर मोबाइल विद्यालय की व्यवस्था कर पैराटीचर के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

अध्याय –8

अनुसंधान मूल्यांकन एवं प्रबोधन

8:1 भूमिका :-

जिले के शैक्षिक क्षेत्र की चिन्हित एवं अनुभूत कठिनाईयों को डाईट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) को ‘जिला अनुसंधान इकाई’ के द्वारा कियात्मक अनुसंधान लेकर समर्था के बिन्दुवार विश्लेशण कर समाधान हेतु सुझाव प्राप्त कर उनको क्षेत्र में काम में लिया जायेगा एवं श्रेष्ठ व उत्तम अनुसंधान के परिणाम का प्रकाशन किया जायेगा। साथ ही बेसलाईन सर्वेक्षण सत्र 2003–04 में कक्षा 6 एवं आगे की कक्षाओं हेतु विभिन्न इकाईयों से करवाया जाकर विशयगत एवं कक्षागत न्यूनतम अधिगम स्तर ज्ञात किया जाकर आगे के वर्षों हेतु स्तर व द्वि दर का निर्धारण कर लक्ष्य की प्राप्ति की जावेगी।

8.2 मूल्यांकन :-

मूल्यांकन छात्रों का कक्षागत मूल्यांकन जिले की विभिन्न शैक्षिक इकाईयों तथा परीक्षा परिणाम को आधार रख कर आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। आन्तरिक मूल्यांकन जिला स्तर एवं बाह्य मूल्यांकन राज्य स्तर द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है। मूल्यांकन में विभिन्न विधाओं से मौखिक, लिखित एवं व्यवहारगत परिवर्तन का आंकलन किया जा सकेगा एवं प्राप्त निश्कर्षों के आधार पर आगे सत्र की व्यूह रचना में यथा स्थिति परिवर्तन लम्बे के प्रयासों को योजना में समाहित किया जायेगा।

8.3 प्रबोधन :-

प्रबोधन की संरचना शाला प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति, खण्ड शिक्षा समिति तथा जिले की कार्यकारी एवं शाशी समिति के स्वरूप को प्रस्तावित किया गया है ताकि विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर की सूचना संप्रेशण एवं प्रबोधन प्रभावी बन सके। इस हेतु शाला प्रबंधन समिति व ग्राम शिक्षा समिति की माह में दो बार बैठक रखी जाकर प्रगति का आंकलन कर प्रगति रिपोर्ट खण्ड शिक्षा समिति को प्रेषित करना एवं खण्ड शिक्षा समिति प्रति त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक सूचनाएं एवं प्रगति की रिपोर्ट जिला स्तर घर प्रस्तुत करेगी। इसमें प्रत्येक स्तर पर बालकों का नामांकन, स्टाफ की स्थिति, उपकरण एवं सहायक सामग्री उपयोगिता एवं आवश्यकता की समस्त सूचनाएं प्रगति रिपोर्ट में समाहित की जायेगी तथा जिला स्तर पर इनका त्रैमासिक एवं अर्द्ध वार्षिक विश्लेशण कर प्रबोधन को और अधिक प्रभावी एवं सहज बनाना प्रस्तावित किया गया है।

शोध, सुपरविजन, मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन पर प्रति विद्यालय 1400रु व्यय करने का प्रावधान है। जिले में विभिन्न प्रकार के लगभग 1062 विद्यालय हैं जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी बी.आर.सी.एफ., आर.पी द्वारा सुपरविजन एवं मोनिटरिंग की जाएगी। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा। प्रशिक्षण के पश्चात विस्सवृन्त का कार्य आवश्यक है। अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य के मूल्यांकन में बी.आर.सी.एफ., आर.पी की अहम भुमिका है। इस हेतु डी.ई.ई.ओ को वाहन की सुविधा एवं बी.ई.ई.ओ को 1000रु प्रति माह वाहन भत्ता देने का प्रावधान रखा गया है। इस मद से बी.आर.सी.एफ एवं आर.पी को भी दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय देने का प्रावधान है।


अध्याय –9

प्रबंधन एवं संस्थाओं का क्षमतागत विकास

जिला स्तर पर साहसी व कार्यकारी समितियों जिनका दायित्व अभियान की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन, प्रबोधन एवं प्रगति है जिनकी कमशः अद्वै वार्षिक एवं त्रैमासिक बैठकों में इससे सम्बन्धित विचार-विमर्श किया जाकर उचित निर्णय लिया जाकर उनकी अनुपालना जिला, ब्लॉक, संकुल एवं ग्राम स्तर पर करवाई जायेगी। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से अनुपालना करवाई जायेगी।

प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर जिला कार्यालय में परियोजना की निम्न प्रकार से कार्यरत पद प्रस्तावित है –

जिला स्तर :–




डी.पी.ओ. कार्यालय में दो वाहन किराए पर होंगे। दो टेलीफोन जिसमें एक कार्यालय में एवं एक डी.पी.सी. के निवास पर होगा। मोबाइल फोन की भी व्यवस्था का प्रावधान है। एक लाख रुपये का फर्नीचर, फोटो कापीयर्स, एवं 50000रु का रेकरिंग व्यय होगा।

ब्लॉक स्तर :-

ब्लॉक में प्रशासनिक कार्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे एवं प्रबन्धन का कार्य ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी करेंगे।

ब्लॉक में प्रबन्धन व्यवस्था इस प्रकार रहेगी –



ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी सर्व शिक्षा अभियान में एक टेलीफोन , एक फोटो कापीयर्स , एक कम्प्युटर मय आपरेटर किराए पर एवं 1000रु प्रतिमाह वाहन भत्ता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को देने का प्रावधान है।

संकुल स्तर :-

संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी -1

शाला प्रबंधन समिति (संकुल अधीन समस्त विद्यालय)

प्रत्येक वर्ग को समिलित करते हुए एस.एम.सी. में 12 सदस्य होंगे। प्रत्येक संकुल केन्द्र के अधीन न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 विद्यालय होंगे।

डाइट :-

(जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) – जो कि जिले में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण अनुसंधान, समान परीक्षा व्यवस्था, विशयवार परीक्षण, सॉफ्ट शैक्षिक प्रोद्योगिकी, संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं प्रश्न पत्र निर्माण प्रशिक्षण तथा परीवीक्षण आदि का दायित्व निर्माण का कार्य करेगी।

डाइट की क्षमता विकास की जाएगी जिसमें एक लाख रुपये तक का फर्नीचर एवं दो लाख पचास हजार रुपये के उपकरण देने का ऐप्प में प्रावधान है।

अध्याय – 10

निर्माण कार्य – सर्व शिक्षा अभियान

भूमिका :–

नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु विद्यालय भवनों का सुदृढीकरण आवश्यक है। भवन विहीन विद्यालय, कक्षों की कमी, विद्यालय मरम्मर, शौचालय/मूत्रालय आदि हेतु निर्माण कार्य अत्यावश्यक है। इसका प्लान बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित समस्याएं मुख्य रूप से उभरकर सामने आयी हैं जिसमें जन सहभागिता की कमी व अन्य उच्च प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में बाधा रही है :–

1. विद्यालयों में भवन नहीं होने से अध्यापन में बाधा होती है।
2. कक्षा कक्षों की बालक/बालिकाओं के अनुपात में कमी।
3. छोटे गांव व छोटी ढाणियों का विद्यालय से करीब 1.5 किमी से ज्यादा दूरी पर होना। इस क्षेत्र की जनसंख्या संघनता 250 से अधिक है।
4. विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है।
5. विद्यालय, छात्र-छात्राओं के लिए शौचालयों से रहित है।
6. खण्ड स्तर पर कोई अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्था नहीं है।
7. संकुल स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा स्तर की देखभाल हेतु कोई कार्यरत संस्था नहीं है।
8. विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु रिसोर्स सेन्टर का अभाव है।
9. समस्त विद्यालयों में रैलिंग व रैम्पों का अभाव है।
10. विद्यालयों में विद्यालय भवन व छात्र-छात्राओं की सामग्री की सुरक्षा हेतु चारदीवारी नहीं है।

उक्त समस्याओं के निवारण हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान बजट में से 30 प्रतिशत बजट शिक्षा सन्दर्भ में समस्याओं के निवारण हेतु रखा गया है। अन्य अतिरिक्त कार्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जायेंगे।

निरन्तर व्यवस्था को लक्ष्योन्मुख बनाने हेतु समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। निर्माण कार्य में पारदर्शिता व उसके सुदृढीकरण हेतु सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। उक्त योजना में समस्त निर्माण कार्य हर स्तर पर जन सहभागिता से करवाना सुनिश्चित कर करवाया जायेगा। समस्त निर्माण कार्य विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति व खण्ड स्तर पर भवन निर्माण कमेटी द्वारा करवाया जायेगा। तकनीकी स्टाफ निर्माण कार्यों का निरीक्षण व महत्वपूर्ण सुझाव हर स्तर पर शाला प्रबंधन कमेटी व भवन निर्माण कमेटी को उपलब्ध करवायेंगे।

निम्न तालिका में निर्माण कार्यों का विस्तृत विवरण शीर्षानुसार दिया जा रहा है :—

विद्यालय भवन पेयजल सुविधा

क्र० सं०	खण्ड	खंड संदर्भ केन्द्र भवन	स्कूल संदर्भ केन्द्र भवन	दो कमरे मय बरामदा	तीन कमरे मय बरामदा	हैप्ड पम्प	टंकी मय कनेक शन	अति० कक्षा कक्ष	रिसॉस सेन्टर	ब्लामदे वैकल्पिक विद्यालय एवं अन्य विद्यालय	चार दिवारी	रैम्प मय रैलिंग	शौचा लय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	लागत लाख रूपये में	—	2.00	2.85	3.91	0.50	0.20	1.20	1.25	0.30	0.40	0.20	0.10
1.	शिवगंज	—	6.00	48.45	15.64	11.50	0.20	196.80	13.75	6.00	23.20	8.00	6.20
2.	सिरोही	—	10.00	151.05	23.46	27.00	3.60	230.40	20.00	10.50	47.20	8.00	13.80
3.	पिंडवाडा	—	12.00	242.25	23.46	55.00	1.20	321.60	20.00	10.20	65.20	8.00	18.30
4.	आबुरोड	—	6.00	136.80	15.64	53.50	2.40	303.60	18.75	12.30	63.20	8.00	6.80
5.	रेवदर	—	8.00	242.25	3.91	65.00	2.20	435.60	21.25	7.20	77.60	8.00	19.80
	योग	—	42.00	820.80	82.11	212.00	9.60	1488.0	93.75	46.20	276.4	40.00	64.90


10.1 संकुल सदर्भ केन्द्र भवन :—

स्थानीय जिला ट्रायबल बेल्ट है जहां पर दूर-दूर पहाड़ियों पर घर बने हुए हैं व कुछ घर मिलकर एक फली कहलाती है। बहुत सारी फलियां मिलकर एक गांव बनता है। पूर्व में जो सी.आर.सी. का आवंटन किया गया था वह इस जिले का दुर्भाग्य रहा था कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को वह संकुल फलियों से दूरी का आंकलन नहीं किया। केवल विद्यालय संख्या देखी, विद्यालय संख्या बढ़ी-घटी तो इधर-उधर जोड़ दिया वह संकुल का निर्माण कर दिया गया था चाहे संकुल व उस क्षेत्र की दूरी 50 किमी. की ही क्यों न हो। यदि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना है तो पहले की गलतियों का सुधार करना होगा। अतः पूर्व के संकुलों की संख्या बढ़ा कर 54 से 75 की जाती है। जिले में ब्रिज कोर्स 160 एवं संचालित व प्रस्तावित वैकल्पिक विद्यालय 54 ही प्राथमिक विद्यालय में परिणित होंगे।

यदि नामांकन शत-प्रतिशत एवं ठहराव को सुनिश्चित करना है तो संकुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इन संकुल भवनों का निर्माण प्रथम वर्ष में किया जायेगा।

जिला सिरोही

सं.	संकेत	स्थानांश
1.	१ (प्राची)	विधान सभा सीमा
2.	० (प्राची)	मतदान केन्द्र अथवा संसदीय
3.	३ (प्राची)	महाराष्ट्र सीमा
4.	४ (प्राची)	राजधानी
5.	५ (प्राची)	गोदावरी
6.	६ (प्राची)	मुख्य राजमार्ग



संकुल जो नवीन प्रस्तावित है।

क्र. सं.	खण्ड	संकुल का नाम	पंचायत	पूर्व में किस संकुल में थे	कारण
1.	शिवगंज	1 मणादर	मणादर, वीर झाडोली	कैलाश नगर	दुरी 15 कि.मी. से ज्यादा
		2 चुली	चुली, छीबा गांव	रुखाडा	दुरी 11 कि.मी. से ज्यादा
		3 अंणगोर	टोडा, अंणगोर	माडाणी	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
		4 रोवाडा	रोवाडा	आल्पा	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
2.	सिरोही	1 मौ.नगर	मौ.. नगर फुगनी	तंवरी, कालन्द्री	दुरी 15 कि.मी. से ज्यादा
		2 सनपुर	आमलारी, सनपुर	मेर माण्डवाडा, सिलदरा	दुरी 11 कि.मी. से ज्यादा
		3 सरतरा	सरतरा, डोडुआ	कृष्णगंज, कालन्द्री	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
		4 गोल	गोल, गोइली	जावाल, पाडिव	दुरी 12 कि.मी. से ज्यादा
		5 माकरोडा	माकरोडा	सिंदरथ	बड़ी पंचायत होने के कारण
3.	पिण्डवाडा	1 इसरा	ईसरा, मांडवाडा (खा)	नितोडा	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
		2 वालोरिया	वालोरिया, वासा	रोहिडा	दुरी 12 कि.मी. से ज्यादा
		3 मांडवाडा	मांडवाडा, सनवाडा—आर	मुला	दुरी 15 कि.मी. से ज्यादा
		4 वरली	वरली	घरट	दुरी 11 कि.मी. से ज्यादा
		5 आमली	आमली, सिवेरा	अजारी	दुरी 12 कि.मी. से ज्यादा
		6 नया सानवाडा	न्यासानवाडा, उन्दरा	विरवाडा	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
4	आबुरोड	1 दोयतरा	दोयतरा	किवरली	दुरी 50 कि.मी. से ज्यादा
		2 क्वारिया	क्वारिया	चन्द्रावती	दुरी 15 कि.मी. से ज्यादा
		3 चनार	चनार, चन्डेला	गिरवर	दुरी 12 कि.मी. से ज्यादा
		4 ओरिया	ओरिया	देलवाडा	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
5	रेवदर	1 नंगाणी	नंगाणी, पोसीतरा	सिरोडी	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
		2 दौलपुरा	दौलपुरा, धवली	वास	दुरी 15 कि.मी. से ज्यादा
		3 पादर	पादर, मैरुगढ	भटाणा	दुरी 14 कि.मी. से ज्यादा
		4 रोहुँआ	रोहुँआ, सोनेला	मगरीवाडा, सोरडा	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा
		5 सेलवाडा	सेलवाडा जोलपुर	डाक	दुरी 13 कि.मी. से ज्यादा

- संकुल भवनों का निर्माण कार्य जन सहभागिता से किया जायेगा।
- निर्माण कार्य उस स्थान के विद्यालय की शाला प्रबंधन की देख-रेख में होगा।
- शाला प्रबंधन समिति सचिव एवं अध्यक्ष के द्वारा निर्माण से पूर्व अनुबन्ध पत्र देना होगा एवं सचिव कार्य का लेखा-जोखा रखेगा।
- स्वीकृत नक्शे के अनुसार कनिश्ट अभियन्ता मकमीना तैयार करेगा।
- निर्माण कार्य निर्माण कमेटी द्वारा करवाया जायेगा।
- यह संकुल केन्द्र भवन उस गांव की उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय भवन के साथ में होंगे।
- यह संकुल पूर्व में निर्मित संकुल के अनुसार ही होंगे।

10.2 विद्यालय भवन :—

जिस गांव में विद्यालय भवन स्वीकृत हैं एवं उनका भवन नहीं है वहां पर तीन कमरों का विद्यालय भवन बनवाकर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाकर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा का वातावरण निर्मित किया जायेगा।

निर्माण कार्यों को जनसहभागिता के अन्तर्गत करवाया जायेगा जो निम्नानुसार होगा :—

1. निर्माण कार्य समिति की देखरेख में होगा।
2. स्वीकृत नवशो के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता मकानीना तैयार करेगा।
3. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन होगा।
4. विद्यालय भवन का निर्माण स्वस्थ वातावरण एवं स्थानीयता के अनुसार किया जायेगा।
5. विद्यालय भवन का निर्माण स्थल, अनामांकित बालकों एवं सड़क के पास होगा।
6. विद्यालय में खेल-कूद हेतु स्थान पर्याप्त होगा।
7. विद्यालय के लिए स्थान इतना पर्याप्त होगा कि उसमें आगे बढ़ोतरी हो सके।
8. विद्यालय भवन हेतु स्थान का चयन कनिष्ठ अभियन्ता के दिशा-निर्देशानुसार होगा।

जिले में 309 विद्यालय भवनों का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के तहत होगा। विद्यालय भवन तीन कमरे/दो कमरे मय बरामदा निर्मित किये जावेंगे। शेष कमरों का निर्माण सरकारी परिवर्तित योजनाओं एवं जन सहयोग से करवाये जायेंगे।

तालिका

विद्यालय	लागत राशि	भवन सं०	कुल राशि
तीन कमरे मय बरामदा	3.91 लाख	21	82.41
दो कमरे मय बरामदा	2.85 लाख	288	820.50
कुल राशि	—	309	902.91

विद्यालय भवन निर्माण की तालिका

क्र० सं०	ब्लॉकों का नाम	श्रागापा	दो कमरे वाले विद्यालय			तीन कमरे वाले विद्यालय		
			प्रा० वि०	टन्य	इकलिपिक	योग	उ० प्रा० वि०	महायोग
1.	शिवगंज	8	3	1	5	17	4	21
2.	सिरोही	20	9	9	15	53	6	59
3.	पिण्डवाडा	73	1	2	9	85	6	89
4.	आबुरोड	15	9	3	21	48	4	52
5.	रेवदर	73	14	7	4	85	1	86
योग		189	23	22	54	288	21	309

10.3 पेयजल सुविधा :-

जिले के 472 विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः विद्यालय के नामांक व ठहराव प्रभावित होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन विद्यालयों के आस-पास जल स्रोत उपलब्ध है उनमें पानी की टंकी मय कनेक्शन का निर्माण किया जाकर एवं जिन विद्यालयों के आस-पास जल स्रोत नहीं है, उन विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगाया जाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी जो निम्नानुसार है :-

हैण्ड पम्प :-

नल कनेक्शन

क्र० सं०	ब्लॉकों का नाम	श्रागापा	प्रा० वि०	इकलिपिक	योग	उ० प्रा० वि०	अन्य	योग
1.	शिवगंज	22	-	1	23	-	1	1
2.	सिरोही	44	-	10	54	8	10	18
3.	पिण्डवाडा	98	10	2	110	4	2	6
4.	आबुरोड	93	5	9	107	3	9	12
5.	रेवदर	114	14	2	130	9	2	11
	योग	371	29	24	424	24	24	48

10.4 अतिरिक्त कक्षा कक्ष :—

जिले के विद्यालयों में 1240 कक्षा कक्षों का अभाव है जिससे अध्यापन में अवरोध उत्पन्न होता है एवं ठहराव सुनिश्चित नहीं होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तालिकानुसार कक्षा कक्षों का निर्माण

करवाया जायेगा। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है एवं कक्षा कक्ष कम है उन विद्यालयों में 8 वर्ग फुट प्रति छात्र अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8 कमरे, प्राथमिक विद्यालय में 5 कमरे, राजीव गांधी पाठशाला में 3 कमरे एवं वैकल्पिक विद्यालय में भी 3 कमरे आवश्यक रूप में हो इसकी व्यवस्था का प्रस्ताव है।

जिन विद्यालयों में छात्र अनुपात के अनुसार कक्ष नहीं हैं, उनमें कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा।

प्रस्तावित अतिरिक्त कक्षा कक्ष :—

क्रमांक	ब्लॉकों का नम	प्राप्त विद्युत	उत्तर प्राप्त विद्युत	रागपा	वैकल्पिक	अन्य	योग
1.	शिवगंज	54	83	14	2	11	164
2.	सिरोही	118	25	24	20	5	192
3.	पिण्डवाडा	110	54	73	4	27	268
4.	आबुरोड	75	38	76	18	46	253
5.	रेवदर	196	86	63	4	14	363
योग		553	286	250	48	103	1240

10.5 रिसोर्स सेन्टर :—

एकीकृत शिक्षा व्यवस्था को अंजाम देने हेतु विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक संकुल स्तर पर एक रिसोर्स सेन्टर प्रस्तावित है जिसमें प्रत्येक प्रकार विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं हेतु शिक्षण उपकरण उपलब्ध होंगे। उक्त प्रकार के बालक कुछ समय के लिए उस सेन्टर पर रहकर प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा शिक्षण करेंगे। जब वे अन्य छात्रों के साथ-साथ पढ़ने जैसी योग्यता अर्जित कर लेंगे तब उन्हें विद्यालयों से जोड़ दिया जायेगा जिससे संविधान की धारा समानता एवं सबको शिक्षा के अवसर की रक्षा होगी।

रिसोर्स सेन्टर की ब्लॉक अनुसार संख्या :—

क्र० सं०	ब्लॉकों का नाम	कुल कक्ष (रिसोर्स सेन्टर)	लागत	कुल लागत
1.	शिवगंज	11	1.25	13.75
2.	सिरोही	16	1.25	20.00
3.	पिण्डवाड़ा	16	1.25	20.00
4.	आबुरोड	15	1.25	18.75
5.	रेवदर	17	1.25	21.25
	योग	75	1.25	93.75

10.6 बरामदे :—

जिले में वैकल्पिक विद्यालयों एवं ई.सी.ई. केन्द्रों में बरामदों का अभाव है। वर्षा के दिनों में पानी कक्ष कक्षों के अन्दर आता है जिससे शिक्षण कार्य में बाधा आती है एवं ठहराव पर बुरा असर पड़ता है। बिना बरामदे के भवन आकर्षक भी नहीं लगते हैं।

बरामदों के निर्माण का विवरण :—

क्र० सं०	ब्लॉकों का नाम	बरामदों की संख्या	लागत	कुल लागत
1.	शिवगंज	20	0.30	6.00
2.	सिरोही	35	0.30	10.50
3.	पिण्डवाड़ा	34	0.30	10.20
4.	आबुरोड	41	0.30	12.30
5.	रेवदर	24	0.30	7.20
	योग	154	0.30	46.20

10.7 शौचालय मूत्रालय :—

जिले के कई विद्यालयों में शौचालय मूत्रालय का अभाव है। कहीं पर छात्रों के लिए है तो वहां छात्राओं के लिए अलग नहीं है। शौचालय एवं मूत्रालय विद्यालय की महत्त्वी आवश्यकता है। जहां शौचालय का अभाव होगा वहां पूर्णतया ठहराव भी नहीं रहेगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में शौचालय मूत्रालय का निर्माण करवाया जायेगा।

तालिका शौचालय – मूत्रालय निर्माण कार्य :–

क्र0सं0	ब्लॉकों का नाम	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	रा0 ग0 पा0	वैकल्पिक	अन्य	योग
1.	शिवगंज	1	37	18	5	1	62
2.	सिरोही	19	52	42	15	10	138
3.	पिण्डवाडा	22	49	96	9	7	183
4.	आबुरोड	6	34	3	21	4	68
5.	रेवदर	26	55	105	4	8	198
	योग	74	227	264	54	30	649

10.8 रैम्प मय रेलिंग :–

जिले में समस्त विद्यालयों में रैम्प मय रेलिंग नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में एकीकृत शिक्षा व्यवस्था को महत्व दिया है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कक्षा कक्ष तक पहुँचने की सुविधा हेतु यह आवश्यक है। जिले के समस्त प्रकार के विद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं है। जो कि शत-प्रतिशत नामांकण एवं ठहराव हेतु आवश्यक है। रैम्प मय रेलिंग निर्माण तालिका :–

क्र0 सं0	ब्लॉकों का नाम	रैम्प संख्या	लागत	कुल लागत
1.	शिवगंज	40	0.20	8.00
2.	सिरोही	40	0.20	8.00
3.	पिण्डवाडा	40	0.20	8.00
4.	आबुरोड	40	0.20	8.00
5.	रेवदर	40	0.20	8.00
	योग	200	0.20	40.00

10.9 चार दिवारी :–

जिले के 691 विद्यालयों में चार दिवारी का अभाव है। विद्यालयों में चार दिवारी नहीं होने से छात्र-छात्राओं की सामग्री, रेकार्ड्स, खिडकी दरवाजे एवं अन्य सामग्री असुरक्षित रहती है। एवं समाज कंटकों द्वारा हानि पहुँचाई जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन विद्यालयों में चार दिवारी नहीं हैं वहां चार दिवारी बनाई जायेगी।

तालिका

क्र0सं0	ब्लॉकों का नाम	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0 वि0	रा0 ग0 पा0	वैकल्पिक	अन्य	योग
1.	शिवगंज	18	7	22	5	6	58
2.	सिरोही	33	15	43	15	13	118
3.	पिण्डवाडा	37	7	98	9	12	163
4.	आबुरोड	18	7	92	21	20	158
5.	रेवदर	50	13	113	4	14	154
	योग	156	49	368	54	64	691

CostingRs. In Lacs

Sr. No.	Name of Activities	Unit Cost	Physical Number	Amount
1.	Upgradation Primary School To Upper Primary School			
i.	Furniture and TLE.	0.5	15	7.50
ii.	Salary of HM	1	15	15.00
iii.	Salaries of Teachers	0.7	15	10.50
iv.	School Facilities Grant	0.02	15	0.30
v.	T.L.M. to Teachers & HM	0.005	30	0.15
vi.	School Building	3.6	15	54.00
2	Retention			
i.	T.L.M. to SC/ST Minority Girls	0.0015	5500	8.25
ii.	Maintenance of School Building	0.05	869	43.45
iii.	School Facilities Grant	0.02	Provision by DEEP	
iv.	Additional Classroom	1.2	30	36.00
v.	Hand Pump	0.5	0	0.00
vi.	PHED Connection / Tanka	0.2	0	0.00
vii.	Toilet Facilities	0.1	8	0.80
viii.	Research, Evaluation, Supervision and Monitoring	0.014	869	12.17
ix.	Innovative Activities	50	1	50.00
x.	Provision for Disabled Children	0.012	2140	25.68
3	Quality Improvement			
i.	T.L.M. to Teacher	0.005	316	0.16
ii.	Training of English Teacher	0.0042	173	0.73
iii.	Training of Maths Teacher	0.0042	173	0.73
iv.	Training of Science Teacher	0.0042	173	0.73
v.	Training of Hindi Teacher	0.0042	173	0.73
vi.	Training of Sanskrit Teacher	0.0042	173	0.73
vii.	Training of Social Science Teacher	0.0042	173	0.73
viii.	Training of Head Master	0.007	173	1.21
ix.	Training of SMC Members	0.0006	1730	1.03
x.	Training of Resource Person 3 days	0.003	60	0.18
	Capacity Building			
i.	Construction of BRC	6		
ii.	Furniture for BRC	1		
iii.	Contingency	0.125		
iv.	Meeting Travel Allowance	0.6		
v.	T.L.M. Grant	0.05		
vi.	Salaries of BRCF	1.8		
vii.	Construction of CRC	2		
viii.	Furniture for CRC	0.1		
ix.	Contingency	0.25		
x.	Meeting Travel Allowance	0.24		
xi.	T.L.M. Grant	0.12		
xii.	Salaries of CRCF	1.2		

Total = 270.76

Civil Works = 90.80

SARVASHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4	<i>Strengthening of BEEO Office</i>				0	0		0		0	0	0	0
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4.3	Recurring Expandise	Lumpsum	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5	<i>CRCF Office</i>				0	0		0		0	0	0	0
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Innovation	Districts	50	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200
19	19.1	Block Resource Center				0	0		0		0	0	0	0
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0	0		0		0	0	0	0
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2	Cluster Resource Center				0	0		0		0	0	0	0
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0	0		0		0	0	0	0
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Interventions for Out of School Children				0	0		0		0	0	0	0
	20.1	No. of Children in Upper Primary School	Child	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.2	Enrollment Under AIE	Child	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.3	Enrollment Under NGO	Child	0.00845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.4	Education for Migratory Children	Child	0.00845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.5	Education for Working Children	Child	0.00845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.6.1	Bridge Course Residential (20 Children 3 Month)	Center	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.6.2	Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month)	Center	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Community Mobilisation				0	0		0		0	0	0	0
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	Village	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.2	Developing Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	4	0.8
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21.4	Library Grant for UPS	Number	0.02		0	0	0		0	0	0	0	0
	21.5	Book Shelf for UPS	Number	0.015		0	0	0		0		0	0	0
		Grand Total				54.5		84.58		84.58		84.58		
		Total of Civil work				0		0		0		0		
		% of Civil works				0		0		0		0		
		Total of Management				4.3		34.38		34.38		34.38		
		% of Management				0.079		0.407		0.407		0.407		

SARVASHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRICT

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRICT

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		Additional Teacher								
	1.1	Salaries of Teacher	Number	0.84	139	116.76	0	139	116.76	
2		Education Gaurantee Scheme (EGS)			0	0			0	0
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	18336	154.9392	0	18336	154.9392	
3		Upgradation Primary School to Upper Primary School			0	0	0	0	0	0
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0	0	0	0	0
	3.2	Salary of Head Master	Number	1.2	0	0	0	0	0	0
	3.3	Salary of Teacher	Number	0.84	0	0	0	0	0	0
4		Class Room			0	0			0	0
	4.1	Additional Class Room in PS	Room	1.2	0	0	0	0	0	0
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120	40	48	140	168
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.92	0	0	0	0	0	0
5		Free Text Book			0	0			0	0
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	9408	9.408	0	9408	9.408	
6		Civil Work			0	0	0	0	0	0
	6.1	Construction of School Building (Five Rooms)	Number	6.25	20	125	0	20	125	
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	0	0	0	0	0	0
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10	50	5	150	15
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	100	50	0	100	50	
	6.5	IPHED Connections	Number	0.2	50	10	0	50	10	
	6.6	Ramps	Number	0.2	100	20	0	100	20	
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0	0	0	0	0
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0	0	0	0	0
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50	0	1	50	
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	100	12.5	0	100	12.5	
	6.11	Major Repairs (per classrooms)	Number	0.25	30	7.5	0	30	7.5	
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	225	56.25	0	225	56.25	
7		Maintinance & Repairs			0	0			0	0
	7.1	Primary School	Number	0.05	456	22.8	0	456	22.8	
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	188	9.4	0	188	9.4	
	7.5	Sanskrit / others School	Number	0.05	102	5.1	0	102	5.1	

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8		Upgradation of EGS/AS to Primary School			0	0			0	0
	8.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.1	148	14.8		0	148	14.8
	8.2	Teacher Salary	Number	0.84	148	124.32		0	148	124.32
	8.3	Honorarium of Para Teacher (2)			0	0			0	0
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	296	53.28		0	296	53.28
	8.3.2	IIInd Year	Number	0.204	0	0		0	0	0
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0		0	0	0
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0		0	0	0
9		Teaching Learning Equipment			0	0			0	0
	9.1	Upper Primary School (None Covered in OBB)	Number	0.5	0	0		0	0	0
10		School Grant			0	0			0	0
	10.1	Primary School	Number	0.02	456	0		0	456	0
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	188	3.76		0	188	3.76
	10.5	Sanskrit / others School	Number	0.02	102	2.04		0	102	2.04
11		Teachers Grant			0	0			0	0
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1888	0		0	1888	0
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	1569	7.845		0	1569	7.845
	11.5	Teachers in Sanskrit/others School	Number	0.005	290	1.45		0	290	1.45
12		Teachers Training			0	0			0	0
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2036	0		0	2036	0
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	1569	21.966		0	1569	21.966
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	745	31.29		0	745	31.29
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	296	6.216		0	296	6.216
14		Training for Community Leaders			0	0			0	0
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	7896	4.7376		0	7896	4.7376
15		Provision for Disabled Children			0	0			0	0
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1938	23.256		0	1938	23.256
16		Research, Eavaluation, Supervision & Monitoring			0	0			0	0
	16.1	Primary School	Number	0.014	456	6.384		0	456	6.384
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	188	2.632		0	188	2.632
	16.5	Sanskrit School	Number	0.014	102	1.428		0	102	1.428

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRICT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
17		Management Cost			0	0		0	0	0
	17.1	<i>District Project Office</i>			0	0		0	0	0
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0		0	0	0
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0		0	0	0
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0		0	0	0
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0		0	0	0
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0		0	0	0
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0		0	0	0
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.84		0	1	0.84
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0		0	0	0
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0		0	0	0
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0		0	0	0
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0		0	0	0
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3		0	2	3
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.5		0	1	1.5
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0		0	0	0
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1		0	1	1
	17.1.16	Recurring Expedititure	Lumpsum	0.5	1	0.5		0	1	0.5
	17.2	<i>Strengthening of DEEO Office</i>			0	0		0	0	0
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	0	0		0	0	0
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.1		0	1	1.1
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	0	0		0	0	0
	17.2.4	Recurring Expedititure	Lumpsum	0.2	1	0.2		0	1	0.2
	17.3	<i>BRCF Office</i>			0	0		0	0	0
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0		0	0	0
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0		0	0	0
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0		0	0	0
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.4		0	5	5.4
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0		0	0	0
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0		0	0	0
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0		0	0	0
	17.4	<i>Strengthening of BEEO Office</i>			0	0		0	0	0
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.25		0	5	4.25
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.6		0	5	0.6
	17.4.3	Recurring Expedititure	Lumpsum	0.1	5	0.5		0	5	0.5
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.2		0	5	4.2
	17.5	<i>CRCF Office</i>			0	0		0	0	0
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0		0	0	0

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRCT

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
18		Innovation	Districts	50	1	50	0	1	50	
19	19.1	Block Resource Center			0	0	0	0	0	0
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0	0	0	0	0
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625	0	5	0.625	
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.3	0	5	0.3	
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.25	0	5	0.25	
	19.2	Cluster Resource Center			0	0	0	0	0	0
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0	0	0	0	0
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	54	1.35	0	54	1.35	
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	54	1.296	0	54	1.296	
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	54	0.54	0	54	0.54	
20		Interventions for Out of School Children			0	0	0	0	0	0
	20.1	No. of Children in Upper Primary School	Child	0.012	1500	18	0	1500	18	
	20.2	Enrollment Under AIE	Child	0.03	300	9	0	300	9	
	20.3	Enrollment Under NGO	Child	0.00845	3000	25.35	0	3000	25.35	
	20.4	Education for Migratory Children	Child	0.00845	500	4.225	0	500	4.225	
	20.5	Education for Working Children	Child	0.00845	200	1.69	0	200	1.69	
	20.6.1	Bridge Course Residential (20 Children 3 Month)	Center	1.1	20	22	0	20	22	
	20.6.2	Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month)	Center	0.3	20	6	0	20	6	
21		Community Mobilisation			0	0	0	0	0	0
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	Village	0.05	477	23.85	0	477	23.85	
	21.2	Developing Awareness Material	Lumpsum	0.2	1	0.2	0	1	0.2	
	21.3	Panchayat Library / Reading Room	Panchayat	0.1	151	15.1	0	151	15.1	
	21.4	Library Grant for UPS	Number	0.02	0	0	0	0	0	0
	21.5	Book Shelf for UPS	Number	0.015	0	0	0	0	0	0
		Grand Total			0	1287.928	53		1340.9278	
		Total of Civil work			0	451.25	53		504.25	
		% of Civil works			0	35.04	100		37.60	
		Total of Management			0	23.09	0		23.09	
		% of Management			0	1.79	0		1.72	

ADDITIONAL PARA TEACHERS & CLASSROOMS

DISTRICT:SIROHI

YEAR	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-010
No. of childern 6-11 age group	110685	113991	117501	121121	124851	128696	132660	136746
No. of childern 11-14 age group	69877	69967	72122	74344	76633	78994	81427	83935
No. of childern 6-14 age group	180462	183958	189623	195465	201484	207690	214087	220681
Enrolment in I To VIII class	189899	194646	199513	204500	209613			
Enrolment in AS/EGS	24256	18335	12696	9736	6736			
Enrolment in Private school	35622	34952	36028	37138	38282			
Enrolment in Govt school	130021	141358	150788	157626	164595			
No. Teacher 1:40	3251	3534	3770	3941	4115	0	0	0
Post Sanctioned	3012							
No.of additional teacher required	239	283	236	171	174	0	0	0
No of classrooms required	1053	283	236	171	174		0	0

Status Schools & Upgradation

DISTRICT

Year	Position of Schools						Upgradation		Position after upgradition						
	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	PS	UPS	PS	UPS	RGSJP	SKS	AS 6Hours	Total	
2002-03	323	173	292	67	24	879			15	308	188	371	67	24	958
2003-04	308	188	371	67	24	958	148	0	456	188	223		47	914	
2004-05	456	188	223	0	47	914	141		27	570	215	149		934	
2005-06	570	215	149	0	0	934	74	47	597	262	75			934	
2006-07	597	262	75	0	0	934	99	25	672	286	0			958	
2007-08	672	286	0	0	0	958		33	639	319				958	
2008-09	639	319	0	0	0	958		0	639	319				958	
2009-10	639	319	0	0	0	958		0	639	319				958	
								0	0	0				0	

PHYSICAL NUMBERS

DISTRICT: SIROHI

S.N.	NAME OF ACTIVITIES	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	Additional Teachers	139	183	236	171	174		
3	Enrolment in RGSJP	18336	12696	9736	6736			
4	Upgradation of PS to UPS	0	27	47	25			
5	Additional Class Room in PS							
6	Additional Class Room in UPS	100	80	80	100			
7	HM Room in UPS		27	47	25			
8	SC/ST Boys in UPS	9408	9643	9884	10131			
9	Construction of School Building (Five Rooms)	20	50	50	75			
10	Construction of School Building (Three Rooms)			27	47	25		
11	Toilets	100	110	130	130			
12	Handpump/ Tanka	100	85	70	140			
13	PHED Connections	50						
14	Ramps	100	50	50	100			
15	Construction of BRC							
16	Construction of CRC							
17	Boundary Wall	1	1	1	1			
18	Minor Repairs	100	100	100	100			
19	Major Repairs	30	30	30	30			
20	Provision of Play Elements to School	225	180	180	180			
21	Primary School	456	570	597	672			
22	Upper Primary School	188	215	262	286			
23	Sanskrit/ others School	102	102	102	102			
24	Upgradation of EGS/AS to Primary School	148	141	74	99			
25	Upper Primary School (None Covered in OBB)							
26	Teachers in Primary School	1888	2311	2533	2830			
27	Teachers in Upper Primary School	1569	1677	1865	1965			
28	Teachers in Sanskrit School	290	290	290	290			
29	No of SMC	987	987	987	987			
30	No. of Disabled Children	1938	1938	1938	1938			
31	No. of Blocks	5	5	5	5			
32	No .of Clusters	54	54	54	54			
33	Interventions for Out of School Children							
34	No. of Children in Upper Primary School	1500	1500	1500	1500			
35	Enrollment Under AIE	300	300	300	300			
36	Enrollment Under NGO	3000	3000	3000	3000			
37	Education for Migratory Children	500	500	500	500			
38	Education for Working Children	200	200	200	200			
39	Bridge Course Residential (20 Children 3 Month)	20	20	20	20			
40	Bridge Course Non Residential (20 Children 3 Month)	20	20	20	20			
41	No. of Village	477	477	477	477			
42	No. of Panchayat	151	151	151	151			

SARVASHIKSHAK BHAVAN 2003-04

CT:KARAULI

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Additional Teacher									
	1.1	Honorarium of Additional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2	Education Guarantee Scheme (EGS)									
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	22029	86.145		0.000	22029	186.145
3	Upgradation Primary School to Upper Primary School									
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0.000		0.000	0	0.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	15	18.000	15	18.000	30	36.000
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	30	25.200	45	37.800	75	63.000
4	Class Room									
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	40	48.000		0.000	40	48.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	15	7.500		0.000	15	7.500
5	Free Text Book									
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	9500	9.500		0.000	9500	9.500
6	Civil Work									
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	12	30.720		0.000	12	30.720
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	5	18.000		0.000	5	18.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	50	5.000		0.000	50	5.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2.000		0.000	10	2.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	50	10.000		0.000	50	10.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms)	Number	0.25	30	7.500		0.000	30	7.500
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7	Maintenance & Repairs									
	7.1	Primary School	Number	0.05	308	15.400		0.000	308	15.400
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	182	9.100		0.000	182	9.100
8	Upgradation of EGS/AS to Primary School									
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	43	4.300		0.000	43	4.300
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	43	27.090	43	27.090	86	54.180
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	43	36.120	43	36.120
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	43	5.805	0	0.000	43	5.805
	8.3.2	IIInd Year	Number	0.204	0	0.000	43	8.772	43	8.772
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10	School Grant									
	10.1	Primary School	Number	0.02	308	0.000	0	0.000	308	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	182	3.640	0	0.000	182	3.640
11	Teachers Grant									
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1265	0.000	129		1394	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	1723	8.615	60	0.300	1783	8.915
12	Teachers Training									
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1222	0.000	86		1308	0.000

SARVASHIKSHAN BHAVAN 2003-04

CT: KARAULI

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Pby	Fin
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	1723	0.000	60	0.840	1783	0.840
	12.3	Refresher Course for Untrained Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	43	0.903	43	0.903	86	1.806
14		Training for Community Leaders								
	14.1	Training of SMC Members (2 days)	Number	0.0006	1456	0.874	0	0.000	1456	0.874
15		Provision for Disabled Children				0	0.000		0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	307	3.684		0.000	307	3.684
16		Research, Evaluation, Supervision & Monitoring								
	16.1	Primary School	Number	0.014	308	4.312	0	0.000	308	4.312
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	182	0.000	0	0.000	182	0.000
17		Management Cost								
	17.1	<i>District Project Office</i>				0	0.000	0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Recurring Expenditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	<i>Strengthening of DEEO Office</i>								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Recurring Expenditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	<i>BRCF Office</i>								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	5	5.400		0.000	5	5.400
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	5	3.000	0	0.000	5	3.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	5	2.400	-0	0.000	5	2.400
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	<i>Strengthening of BEEO Office</i>								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600		0.000	5	0.600
	17.4.3	Recurring Expenditure	Lumpsum	0.1	5	0.500		0.000	5	0.500
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200		0.000	5	4.200
	17.5	<i>CRCF Office</i>								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		Innovation	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	19.1	Block Resource Center								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625		0.000	5	0.625
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300		0.000	5	0.300

SANJAYA TIP AUBHAYAN 2083-07

CT:KARUALI

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250		0.000	5	0.250
	19.2	Cluster Resource Center								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	54	1.350		0.000	54	1.350
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	54	1.296		0.000	54	1.296
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	54	0.540		0.000	54	0.540
20		Interventions for Out of School Children								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	5000	42.250		0.000	5000	42.250
21		Community Mobilisation								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	490	4.900	0	0.000	490	4.900
	21.2	Developing Awareness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reading Room	Panchayat	0.02	151	3.020		0.000	151	3.020
		Grand Total				685.099		129.825		814.924
		Total of Civil work				222.470		0.000		222.470
		% of Civil works				32.47		0.00		27.30
		Total of Management				24.530		0.000		24.530
		% of Management				3.58		0.00		3.01

SCHOOL EDUCATION BUDGET 2003-04

DISTRICT:SIROHI

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250	5	0.250	5	0.250	5	0.250	20	1.000
	19.2	Cluster Resource Center	*											
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	54	1.350	54	1.350	54	1.350	54	1.350	216	5.400
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	54	1.296	54	1.296	54	1.296	54	1.296	216	5.184
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	54	0.540	54	0.540	54	0.540	54	0.540	216	2.160
20		Interventions for Out of School Children												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	5000	42.250	4000	33.800	3000	25.350	2000	16.900	14000	118.300
21		Community Mobilisation												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	490	4.900	533	5.330		0.000		0.000	1023	10.230
	21.2	Developing Awareness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reading Room	Panchayat	0.02	151	3.020	151	3.020	151	3.020	151	3.020	604	12.080
		Grand Total				685.099		918.933		1131.207		1339.344		4074.583
		Total of Civil work				222.470		304.650		357.650		471.650		1356.420
		% of Civil works				32.47		33.15		31.62		35.22		33.29
		Total of Management				24.530		31.812		42.744		44.184		143.270
		% of Management				3.58		3.46		3.78		3.30		3.52

ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

DISTRICT: SIROHI

Norms	S.No.	Name of Activities .	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	1723	8.615		0.000	1723	8.615
12		Teachers Training								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1222	0.000			1222	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	1723	0.000	999	13.986	2722	13.986
	12.3	Refresher Course for Untrained Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	43	0.903		0.000	43	0.903
14		Training for Community Leaders								
	14.1	Training of SMC Members (2 days)	Number	0.0006	1456	0.874		0.000	1456	0.874
15		Provision for Disabled Children				0	0.000		0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	307	3.684		0.000	307	3.684
16		Research, Evaluation, Supervision & Monitoring								
	16.1	Primary School	Number	0.014	308	4.312		0.000	308	4.312
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	182	0.000	173	2.422	355	2.422
17		Management Cost								
	17.1	<i>District Project Office</i>				0	0.000	0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.4	Salary of Asstt. Engr. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Recurring Expenditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	<i>Strengthening of DEEO Office</i>								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

